रजिस्ट्री सं० डी—(डी एन) 128/90 REGISTERED NO. D—(DN) 128/90

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 45] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 10, 1990 (कार्तिक 19, 1912)
No. 45] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 10, 1990 (KARTIKA 19, 1912)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 4
## [PART III—SECTION 4]

### सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

### [Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

शहरी बैंक विभाग

बम्बई-400018, दिनांक 16 अक्तूबर 1990

यू०बी०डी०बी०आर० 105/ए० 18-90/91—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के खण्ड (यक) के साथ पठित धारा 36ए की उप-धारा (2) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा यह अधिसूचित करता है कि उक्त अधिनियम के तात्पर्य के अंतर्गत निम्नलिखित प्राथमिक सहकारी बैंक (वेतनभोगी समिति) सहकारी बैंक नहीं रहा।

| समिति का नाम | राज्य |
| --- | --- |
| गवर्नमेन्ट इम्पलाइज को-आपरेटिव सोसाइटी लि० ए० 245, आय कुलम, एलेप्पी | केरल |

जी० के० उदेशी,
मुख्य अधिकारी

भारतीय स्टेट बैंक

बैंकिंग परिचालन विभाग

केन्द्रीय कार्यालय

बम्बई-400021, दिनांक 10 नवम्बर 1990

सूचना

सं० सी०ओ०/बी०ओ०डी०/पी० एण्ड एल०/281—यह सूचित किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य रजिस्टर तथा शाखा रजिस्टर सोमवार 26 नवम्बर 1990 से सोमवार 3 दिसम्बर 1990 दोनों दिन शामिल कर के, शेयर अन्तरण के लिए बन्द रहेंगे ताकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के शेयरधारियों के लिए प्रस्तावित शेयर पावना का निर्धारण किया जा सके।

## भारतीय स्टेट बैंक की शेयर पूंजी में वृद्धि करने की योजना

1. योजना की संस्वीकृति

भारतीय स्टेट बैंक (जिसे यतः पश्चात् "बैंक" कहा गया है) की वर्तमान प्राधिकृत पूंजी रु० 200 करोड़ है जबकि उसकी वर्तमान निर्गमित एवं प्रदत्त पूंजी रु० 150 करोड़ है।

बैंक की निर्गमित एवं प्रदत्त पूंजी को रु० 150 करोड़ से बढ़ाकर रु० 200 करोड़ करने के लिए, जो रु० 100/- प्रति शेयर मूल्य के 200 लाख पूर्ण प्रदत्त शेयरों में बंटी हुई होगी, भारत सरकार के पत्र क्रमांक 14(3)(89) एसीसीटीएस दिनांकित 28 जून 1990 और भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र क्रमांक डीबीओडीबीपी 1150/सी० 469 (डी)-90 दिनांकित 16 अप्रैल 1990 के द्वारा उनकी अनुमति प्राप्त कर ली गई है, तदनुसार रु० 100/- प्रति शेयर मूल्य के 50 लाख शेयर रु० 160/- प्रति शेयर प्रीमियम पर निम्नलिखित आधार पर निर्गमित करने का निर्णय लिया गया है।

2. निर्गम की मुख्य बातें

(1) प्रति शेयर रु० 160/- प्रीमियम पर जारी किए जा रहे रु० 100/- प्रति शेयर मूल्य के अतिरिक्त 50 लाख शेयरों के लिए प्रथमतः भारतीय रिजर्व बैंक अंशदान करेगा और उसके बाद वह अन्य शेयरधारकों को नियत तिथि को धारित प्रति 3 शेयरों के लिए 1 शेयर के अनुपात में शेयरों में अंशदान करने के अधिकार दे देगा। यदि कोई शेयर धारक नए शेयर के किसी भाग का अधिकारी होगा तो उसे भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिधारण से एक अतिरिक्त शेयर प्रदान किया जाएगा।

(2) वर्तमान शेयरधारकों को उक्त अधिकार के परित्याग की अनुमति होगी, किन्तु उन्हें अतिरिक्त शेयरों के लिए आवेदन करने का अधिकार नहीं होगा।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक को निर्गमित किए गए शेयर प्रमुखतः एवं निजी शेयरधारकों को जारी किए गए शेयरों को तत्पश्चात्, जिस दिन से शेयरधारक के रजिस्टर में अतिरिक्त शेयरों के रूप में प्रविष्ट किया जाएगा, उस दिन से 31 मार्च 1991 को समाप्त बैंक के वित्तीय वर्ष तक, केन्द्रीय बोर्ड द्वारा घोषित अंतिम लाभांश यदि कोई हो, के लिए आनुपातिक आधार पर पात्रता प्राप्त होगी।

(4) भारतीय रिजर्व बैंक को छोड़कर अन्य शेयरधारकों को शेयर आवंटन पर भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 11 के उपबंध लागू होंगे। उक्त धारा नीचे दी जा रही है :—

"(1) किसी भी व्यक्ति को उसके 200 से अधिक धारित शेयरों के प्रति, वे चाहे उसके अपने अकेले के नाम में हों पर किसी अन्य के साथ संयुक्त नाम में, शेयरधारक के रूप में पंजीकृत नहीं किया जाएगा या वह 200 से अधिक शेयरों के प्रति कोई लाभांश पाने का हकदार नहीं होगा और वह केवल उन्हें बेचने के अधिकार को छोड़कर इस प्रकार के आधिक्य शेयरों के प्रति शेयरधारक के किसी अधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।

इस उप धारा की व्यवस्थाएं निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगी :—

(क) रिजर्व बैंक

(ख) कोई निगम

(ग) बीमा अधिनियम, 1938 में यथा परिभाषित बीमाकर्ता

(घ) स्थानीय प्राधिकरण

(ङ) सहकारी समिति तथा

(च) किसी सार्वजनिक अथवा निजी धार्मिक या धर्मार्थ न्यास का कोई न्यासी।

(2) उप धारा (1) में दी गई बातों के बावजूद भी रिजर्व बैंक के अलावा कोई अन्य व्यक्ति, जिसके पास निर्गमित पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक शेयर हों, उन अतिरिक्त शेयरों के लिए वोट देने का अधिकारी नहीं होगा।

3. निर्गम कार्यक्रम

| | |
|---|---|
| क. निर्गम प्रारंभ होने का दिनांक | 10-12-1990 |
| ख. निर्गम बंद होने का दिनांक | 09-01-1991 |
| ग. अंतरण पुस्तकों की बंदी | 26-11-90 से 03-12-1990 दोनों दिवस सम्मिलित |
| घ. अधिकार विखंडन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने का अंतिम दिनांक | 26-12-1990 |

4. आवेदन पत्र स्वीकार करने का स्थान

भारतीय स्टेट बैंक की निम्नलिखित शाखाएं उपयुक्त दिनांक को आवेदन पत्र स्वीकार करेंगी :—

आगरा (छीपीटोला), अहमदाबाद (भद्र), इलाहाबाद (कचहरी रोड), बंगलौर (सेन्ट मार्क्स रोड), भोपाल (टी०टी० नगर), बम्बई (मुख्य शाखा), भुवनेश्वर (मुख्य शाखा), कलकत्ता (मुख्य शाखा), कोयम्बत्तूर, चंडीगढ़ (सैक्टर-17), एर्णाकुलम (षण्मुगम रोड), नई दिल्ली (संसद मार्ग), गुवाहाटी (ए०टी० रोड), हैदराबाद (बैंक स्ट्रीट), इन्दौर (मुख्य डाकघर के पास), जबलपुर (सिविल लाइन्स), जयपुर (एम०आई० रोड), जम्मू (तवी), कानपुर (माल), लखनऊ (मोती महल मार्ग), लुधियाना (सिविल लाइन्स), मद्रास (राजाजी सलाइ), मैंगलोर (पोर्ट रोड), मदुरै (वेस्ट वेली स्ट्रीट), नागपुर (किंग्सवे), पुणे (मुख्य

शाखा), पटना (मुख्य शाखा), त्रिवेन्द्रम (एम०जी० रोड), वाराणसी (छावनी), और मुक्तसर, ।

5 योजना का उद्देश्य

बैंक की निर्गमित पूंजी में वृद्धि करने का उद्देश्य "पूंजी निधियों" को "अचल आस्तियों" के उचित रूप से समानुपातिक करना है ।

बी०के० मजुमदार,
उप प्रबंध निदेशक
(कार्पोरेट परिचालन एवं सेवाएं)

अनुबन्ध

स्टेट बैंक आफ हैदराबाद

भारतीय स्टेट बैंक का सहयोगी बैंक

प्रधान कार्यालय : गनफाउन्ड्री

हैदराबाद-500177, दिनांक 25 सितम्बर 1990

सं० पत्र सचि०वि०/14/12—भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 (1959 के 38) के अनुसरण में बनाए गए समनुषंगी बैंक सामान्य विनियमन 1959 के विनियम 55 (1) के अनुसार स्टेट बैंक आफ हैदराबाद का बोर्ड एतद्द्वारा नीचे दर्शायी गयी श्रेणियों के अधिकारियों को प्रत्येक अधिकारी के विरुद्ध निर्दिष्ट सीमा तक हस्ताक्षर के अधिकार का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है :

| | |
|---|---|
| क. मप्रश्रे मान-4 और ऊपर की श्रेणियों के सभी अधिकारी | वर्तमान में कार्यरत पदों का कार्य करने के संदर्भ में बैंक के चालू या प्राधिकृत कारोबार से संबंधित सभी विषयों के सभी दस्तावेज, प्रपत्र, खाते, रसीदें, पत्र और सूचनाएं आदि हस्ताक्षर करना । |
| ख. मप्रश्रे मान-3 मप्रश्रे मान-2/ कप्रश्रे मान-1 की श्रेणियों के सभी शाखा प्रबन्धक, प्रभागों के प्रबंधक | वर्तमान में कार्यरत पदों का कार्य करने के संदर्भ में बैंक के चालू या प्राधिकृत कारोबार से संबंधित सभी विषयों के सभी दस्तावेज, प्रपत्र, खाते, रसीदें, पत्र और सूचनाएं आदि हस्ताक्षर करना । |
| ग. शाखाओं के सभी प्रबंधक (खाते)/लेखापाल, सहायक लेखापाल, क्षेत्र अधिकारी | वर्तमान में कार्यरत पद का कार्य करते समय हुंडियों, प्रोनोटो, माल पर हक के दस्तावेजो की विमुक्ति करने का अधिकार । |

बैंक के सभी अधिकारी, कर्मचारी जिनको हस्ताक्षर के अधिकार प्रदत्त हैं चाहे वे किसी भी स्थान पर तनात किए गए हों, अपने कार्यपालन में उनको प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करना जारी रखेंगे । उपर्युक्त आशोधन के अधीन तथा उस सीमा तक जो इस आशोधन में उल्लिखित किसी विषय से असंगत न हो, हस्ताक्षर के अधिकारों से संबंधित वर्तमान अधिसूचनाएं लागू रहेंगी ।

बोर्ड की आदेशानुसार

ह०—
के० ताण पिल्लै
मुख्य महा प्रबंधक

युनाइटेड बैंक आफ इंडिया

मानव संसाधन विकास विभाग

कलकत्ता-700001, दिनांक 16 अगस्त 1990

सं० 4/90—जीएसआर बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 (1970 की धारा 5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए युनाइटेड बैंक आफ इंडिया के निदेशक मंडल भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श और केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से युनाइटेड बैंक आफ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 को संशोधित करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाते हैं ।

2. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन विनियमों को युनाइटेड बैंक आफ इंडिया (अधिकारी) सेवा संशोधन विनियम, 1990 कहा जाएगा ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे :

3. संशोधनों का विस्तृत विवरण :

विनियम 3 (ट) :

"वेतन" से अवरोध वेतनवृद्धियों सहित मूल वेतन अभिप्रेत है ।

विनियम 3(1) :

"संवेतन" से वेतन और महंगाई भत्ते का जोड़ अभिप्रेत है ।

विनियम 4(1) :

1-2-1984 को और उसके बाद स, अधिकारियों के लिए निम्नलिखित चार श्रेणियां होंगी जिन पर प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट वेतनमान लागू होंगे :

(क) उच्च कार्यपालक श्रेणी :

वेतनमान VII रु० 4100-125-4600

वेतनमान VI रु० 3850-125-4350

(ख) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी :

वेतनमान V रु० 3575-110-3685-115-3800

वेतनमान रु० 2925-105-3450

(ग) मध्य प्रबंधन श्रेणी :

वेतनमान III रु० 2650–100–3250

वेतनमान I रु० 1825–100–2925

(घ) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी :

वेतनमान I रु० 1175–60–1475–70–1895–दo रो–95–2275–100–2675

1-11-1987 को तथा उसके बाद से, प्रत्येक पदक्रम के सामने विनिर्दिष्ट वेतनमान निम्नानुसार होंगे :—

(क) उच्च कार्यपालक श्रेणी :

वेतनमान VII रू० 6400–150–7000

वेतनमान VI रु० 5950–150–6550

(ख) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी

वेतनमान V रू० 5350–150–5950

वेतनमान IV रु० 4520–130–4910–140–5050–150–5300

(ग) मध्य प्रबंधन श्रेणी :

वेतनमान III रु० 4020–120–4260–130–4910

वेतनमान II रु० 3060–120–4260–130 4390

(घ) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी :

वेतनमान I रु० 2100–120–4020

उपबंधित किया जाता है कि नियत तारीख को लागू वेतनमान द्वारा ऐसे प्रत्येक अधिकारी के वेतन का, जिसका विनियम 8 के अधीन जारी सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुसार उक्त वेतनमान में नियतन किया गया था, सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुसार ऊपर बताए गए वेतनमान में नियतन किया जाएगा ।

विनियम 5(1) :

1-11-1987 को तथा उसके बाद से वेतनवृद्धियां निम्नलिखित उपखण्डों के अध्यधीन दी जाएंगी :

(क) विनियम 4(1) में उपवर्णित वेतनमानों में विनिर्दिष्ट वेतनवृद्धियां, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अध्यधीन वार्षिक आधार पर प्रोद्भूत होंगी और वे जिस महीने में देय होती है, उस महीने की पहली तारीख को दी जाएंगी ;

(ख) वेतनमान I तथा II के अधिकारियों को, अपने संबंधित वेतनमानों के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात्, अगले उच्च वेतनमान में अवरोध वेतनवृद्धि (यों) सहित आगे की वेतनवृद्धियां केवल नीचे (ग) में विनिर्दिष्ट आधार पर दी जाएंगी बशर्ते कि वे दक्षतारोध को पार कर लें ।

(ग) ऊपर (ख) में उल्लिखित अधिकारियों सहित, मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II तथा III के अधिकतम पर पहुंचने वाले अधिकारियों को, यथास्थिति, वेतनमान II तथा III के अंतिम प्रक्रम पर पहुंचने के पश्चात्, प्रत्येक 3 वर्ष की सेवा पूरी होने पर अवरोध वेतनवृद्धि/वेतनवृद्धियां दी जाएगी/जाएंगी । वेतनमान II के अंतिम प्रक्रम पर पहुंच चुके अधिकारियों के मामले में रु० 130/– की अधिक से अधिक दो वेतन–वृद्धियां दी जाएगी तथा वेतनमान III के अंतिम प्रक्रम के अधिकारियों के मामले में रु० 140/– की एक वेतनवृद्धि दी जाएगी ।

टिप्पणी : अगले उच्चतर वेतनमान में दी गई ऐसी वेतन–वृद्धियों को पदोन्नति नहीं माना जाएगा । ऐसी वेतनवृद्धियां पाने के पश्चात् भी अधिकारी को, यथास्थिति, उसके अपने मूल–पद के वेतनमान I अथवा II के ही विशेषाधिकार, परिलब्धियां, ड्यूटी, उत्तरदायित्व अथवा पद मिलेंगे ।

विनियम 5(2) :—

1-11-1987 को तथा उसके बाद से, वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने वाले अथवा पहुंच चुके ऐसे अधिकारियों को जो पदोन्नति पाए बिना और आगे नहीं जा सकते, सरकारी मार्गनिर्देशों के अधीन, यदि कोई हों, सी ए आइ आइ बी परीक्षा उत्तीर्ण करने के फलस्वरूप अनिश्चित वेतनवृद्धियों के स्थान पर निम्नानुसार व्यावसायिक अर्हता भत्ता दिया जाएगा :

| | |
|---|---|
| जिन्होंने सी ए आइ आइ बी का केवल भाग I उत्तीर्ण किया है | : एक वर्ष पश्चात् रु० 100/– प्र० मा० जिनमें से रु० 75/– अधिवर्षिता लाभ के लिए गिने जाएंगे । |
| जिन्होंने सी ए आइ आइ बी के दोनों भाग उत्तीर्ण कर लिए हैं | : (i) 1 वर्ष पश्चात् रु० 100/– प्र० मा०, जिनमें से रु० 75/– अधिवर्षिता लाभ के लिए गिने जाएंगे । |
| | (ii) 2 वर्ष पश्चात् रु० 250/– प्र० मा० जिनमें से रु० 200/– अधिवर्षिता लाभ के लिए गिने जाएंगे । |

टिप्पणी : यदि किसी ऐसे अधिकारी को, जिसे व्यावसायिक अर्हता भत्ता मिल रहा है, अगले उच्चतर वेतनमान में पदोन्नत किया जाता है तो ऐसे उच्चतर वेतनमान में उसका वेतन निर्धारित करते समय उसे वेतनमान में उपलब्ध वेतनवृद्धियों की सीमा तक, सी ए आइ आइ बी परीक्षा उत्तीर्ण करने

पर अतिरिक्त वेतनवृद्धियां दी जाएंगी और यदि वेतनमान में वेतनवृद्धियां उपलब्ध नहीं हैं अथवा केवल एक ही वेतनवृद्धि उपलब्ध है तो अधिकारी वेतनवृद्धि (यों) के एवज में व्यावसायिक अर्हता भत्ता पाने का पात्र होगा।

विनियम 21 :

1-11-1987 को तथा उसके बाद से, महंगाई भत्ता योजना निम्नानुसार होगी :—

(1) महंगाई भत्ता अखिल भारतीय औसत श्रमिक-वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार 1960-100 के तिमाही औसत में 600 अंकों के ऊपर 4 अंक की प्रत्येक वृद्धि अथवा गिरावट के हिसाब से देय होगा।

(2) महंगाई भत्ता निम्नलिखित दरों पर देय होगा :

(i) रु० 1650/- तक 'वेतन' का 0.67%, और

(ii) रु० 1650/- से ऊपर परंतु रु० 2835/- तक 'वेतन' का 0.55%, और

(iii) रु० 2835/- से ऊपर परंतु रु० 4020/- तक 'वेतन' का 0.33%, और

(iv) रु० 4020/- से ऊपर 'वेतन' का 0.17%।

विनियम 22(1) :

1-11-1987 को और उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है तो उससे उसके वेतनमान के प्रथम प्रक्रम का 6% अथवा आवास के लिए मानक किराया, इनमें से जो भी कम हो, वसूल किया जाएगा।

विनियम 22(2)

1-11-1987 को और उसके बाद से, यदि अधिकारी को बैंक द्वारा मकान नहीं दिया गया है, तो वह निम्नलिखित दरों पर मकान किराया भत्ता पाने का पात्र होगा :

| कार्यस्थल निम्नलिखित स्थानों पर होने पर | देय म.कि.भ. |
|---|---|
| (i) सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुसार समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्रमुख "ए" वर्ग के नगर तथा समूह "ए" के परियोजना क्षेत्र केन्द्र, | वेतन का 14%, अधिकतम रु० 375/- |
| (ii) क्षेत्र I में अन्य स्थान तथा समूह "बी" के परियोजना क्षेत्र केन्द्र, | वेतन का 12%, अधिकतम रु० 300/- |
| (iii) क्षेत्र II, और उपर्युक्त (i) तथा (ii) के अंतर्गत न आने वाले राज्यों तथा संघ-शासित क्षेत्रों की राजधानियां | वेतन का 10%, अधिकतम रु० 250/- |
| (iv) अन्य सभी स्थान-क्षेत्र— | वेतन का 8%, अधिकतम रु० 225/- |

परन्तु यदि कोई अधिकारी किराए की रसीद प्रस्तुत करता है तो उसे देय मकान किराया भत्ता, जिस वेतनमान में वह है उसके प्रथम प्रक्रम के 6% से ऊपर, उसके द्वारा अपने आवास के लिए दिया गया वास्तविक किराया होगा जो अन्यथा देय अधिकतम मकान किराया भत्ते का अधिक से अधिक 160% होगा।

विनियम 22(3)

यदि कोई अधिकारी अपने ही मकान में रहता है तो उसे उप-विनियम (2) में उल्लिखित परंतुक के आधार पर इस प्रकार मकान किराया भत्ता मिलेगा मानो वह नीचे "अ" अथवा "आ" में से उच्चतर के बारहवें भाग के बराबर मासिक किराया दे रहा हो :

"अ"

निम्नलिखित का योग :—

(i) निम्नलिखित के लिए देय नगरपालिका कर और

(ii) भूमि की लागत सहित निवास स्थान की पूंजीगत लागत का 12%, और यदि निवास स्थान किसी भवन का भाग है तो उतने भाग की भूमि के आनुपातिक हिस्से की पूंजीगत लागत, किन्तु इसके अंतर्गत वातानुकूलक जैसे विशेष जुड़नार शामिल नहीं होंगे, अथवा

"आ"

निवास स्थान के लिए नगरपालिका कर निर्धारण हेतु आंका गया वार्षिक किराया मूल्य।

स्पष्टीकरण :—

(1) इस विनियम के प्रयोजन हेतु "मानक किराया" से अभिप्राय है :

(क) बैंक के स्वामित्व वाले निवास स्थानों के मामले में सरकार से ऐसे निवास स्थानों के संबंध में प्रचलित पद्धति के अनुसार आंका गया मानक किराया।

(ख) यदि निवास स्थान बैंक द्वारा किराए पर लिया गया है तो बैंक द्वारा देय संविदागत किराया।

विनियम 23(i)

1-11-1987 को और उसके बाद से, यदि अधिकारी निम्नलिखित सारणी के स्तंभ 1 में उल्लिखित किसी स्थान में कार्यरत हो तो वह उस स्थान के सामने स्तंभ 2 में उल्लिखित दर पर नगर प्रतिकर भत्ता पाने का पात्र होगा :

| स्थान | दर |
|---|---|
| (1) | (2) |
| (क) क्षेत्र I के स्थान और गोवा राज्य | मूल वेतन का 6½%, अधिकतम रु० 220/- प्रतिमाह |

| (1) | (2) |
|---|---|
| (ख) पांच लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले स्थान और राज्यों की राजधानियां तथा चंडीगढ़, पांडिचेरी और पोर्ट ब्लेयर जो ऊपर (क) में नहीं आते । | वेतन का 4%, अधिकतम रु० 135/- प्रति माह |

विनियम 23(V)

1-11-1987 को और उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को बैंक से बाहर सेवा के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है तो वह प्रतिनियुक्ति के पद पर देय उन परिलब्धियों को प्राप्त करने के लिए अपना विकल्प दे सकता है । विकल्पतः, वह अपने वेतन का अतिरिक्त 12% अधिकतम रु० 700/-, प्रतिनियुक्ति भत्ता और ऐसे अन्य भत्ते ले सकता है जो उसे उसी स्थान पर बैंक की सेवा में तैनात होने की स्थिति में मिलते ।

परंतु यदि उसे उसकी प्रतिनियुक्ति से पूर्व उसकी तैनाती के स्थान पर ही स्थित किसी संगठन में प्रतिनियुक्त किया जाता है तो उसे उसके वेतन का 6%, अधिकतम रु० 350/-, प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा ।

परंतु यह भी कि यदि किसी अधिकारी को बैंक के प्रशिक्षण संस्थान में संकाय सदस्य के रूप में अथवा बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड में प्रतिनियुक्त किया जाता है तो उसे उसके वेतन का 6%, अधिकतम रु० 350/-, प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा ।

विनियम 23 (VI) :

1-11-1987 को और उसके बाद से, यदि उसने कम से कम 7 दिन लगातार या किसी कैलेण्डर महीने के दौरान कुल 7 दिन किसी उच्चतर श्रेणी में किसी पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य किया जाता है तो उसे स्थानापन्न रूप में कार्य करने की अवधि के लिए उसके वेतन का 6%, लेकिन अधिक से अधिक रु० 250/- प्रति माह स्थानापन्न भत्ता मिलेगा । स्थानापन्न भत्ते को भविष्य निधि के लिए हिसाब में दिया जाएगा किन्तु अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं ।

परंतु यदि कोई अधिकारी विनियम 6 के अधीन पदों के प्रवर्गीकरण के पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप ही उच्चतर वेतनमान में स्थानापन्न रूप से कार्य करता है तो उसे प्रवर्गीकरण के पुनरीक्षण के प्रभावी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए स्थानापन्न भत्ता नहीं मिलेगा ।

विनियम 23(VII) :

वित्तीय वर्ष 1989-90 और उसके बाद से, यदि वह किसी ऐसी शाखा में तैनात किया जाता है जहां 31 मार्च और 30 सितंबर को बहियों का समापन कार्य होता है तो उसे ऐसी प्रत्येक लेखाबंदी के लिए रु० 150/-लेखाबंदी भत्ता दिया जाएगा ।

विनियम 23(X) :

दि० 1-11-1987 को और उसके बाद से, यदि वह नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 1 में उल्लिखित किसी स्थान पर सेवारत है तो उसे स्तंभ 2 में उल्लिखित दर से पर्वत तथा ईंधन भत्ता दिया जाएगा :—

सारणी

| स्थान | दर |
|---|---|
| 1 | 2 |
| (i) 1000 मीटर और उससे अधिक परंतु 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाले स्थान और मडिकेरी नगर | वेतन का 5%, अधिकतम रु० 130/- प्र०मा० |
| (ii) 1500 मीटर और उससे अधिक परंतु 3000 मीटर से कम ऊंचाई वाले स्थान पर | वेतन का 6½%, अधिकतम रु० 160/- प्र० मा० |
| (iii) 3000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर | वेतन का 15%, अधिकतम रु० 600/- प्र० मा० |

टिप्पणी : (क) कम से कम 750 मीटर ऊंचाई पर स्थित स्थानों, जो उससे अधिक ऊंचाई वाले पर्वतों से घिरे हुए हों और जिन तक पहुंचने के लिए 1000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पार करनी पड़ती हो, पर तैनात अधिकारियों को 1000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले केन्द्रों के लिए देय दर पर पर्वत तथा ईंधन भत्ता दिया जाएगा ;

(ख) उक्त वर्गीकरण के अंतर्गत न आने वाले किसी भी केन्द्र में फिलहाल दिए जाने वाले पर्वत तथा ईंधन भत्ते समाप्त कर दिए जाएंगे । दि० 1-11-1987 और 30 अप्रैल, 1989 के बीच दिया गया भत्ता वसूल नहीं किया जाएगा । पहली मई, 1989 से और उसके बाद उक्त तारीख को अथवा उसके पहले से उस केंद्र पर उसी वेतनमान में तैनात रहने की तारीख तक केवल पुराने प्रावधानों के अनुसार 30 अप्रैल, 1989 को मिल रहे भत्ते के बराबर राशि का संरक्षण दिया जाएगा ।

विनियम 24(1) :

अधिकारी अपने और अपने परिवार के लिए किए गए वास्तविक चिकित्सा व्यय की निम्नलिखित आधार पर प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगा, अर्थात

(क) चिकित्सा व्यय :

1-11-1987 को और उसके बाद से, अधिकारी द्वारा अपने और अपने परिवार के लिए किए गए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति नीचे स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट वेतन सीमा तथा स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट प्रतिपूर्ति सीमा के अध्यधीन की जाएगी। इसके लिए अधिकारी को प्रमाण-पत्र देना होगा कि उसने यह व्यय किया है और दावा की गई राशि के समर्थन में उसे खर्च का विवरण देना होगा :

सारणी

| वेतन सीमा | वार्षिक प्रतिपूर्ति सीमा |
|---|---|
| रु० 2100/- से रु० 3060/-प्र०मा० | रु० 600/- |
| रु० 3061/- प्र०मा० और उससे अधिक | रु० 800/- |

टिप्पणी : उपयोग में न आई चिकित्सा सहायता राशि को अधिकारी संचित कर सकता है परंतु संचित राशि किसी भी समय उल्लिखित अधिकतम राशि के तीन गुने से अधिक नही होगी।

स्पष्टीकरण :

इस विनियम के प्रयोजन के लिए, अधिकारी के "परिवार" में उसका पति/उसकी पत्नी, पूर्णतः आश्रित संतान और पूर्णतः आश्रित माता-पिता ही शामिल होंगे।

24. ( )(ख) अस्पताल में भर्ती खर्च :

(i) 1-4-1989 को और उसके बाद से, अस्पताल में भर्ती होने के सभी मामलों में अधिकारी के मामले में 90% तक और उसके परिवार के सदस्यों के मामले में 60% तक के खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

1-4-1989 को और उसके बाद से, मान्यता प्राप्त अस्पताल के प्राधिकारियों और बैंक के चिकित्सा अधिकारी द्वारा घर पर इलाज की आवश्यकता प्रमाणित करने पर निम्नलिखित रोगों के चिकित्सा-खर्चों को भी अस्पताल में भर्ती-खर्च माना जाएगा और उससे संबंधित चिकित्सा-खर्चों की अधिकारी के मामले में 90% तक और उसके परिवार के सदस्यों के मामले में 60% तक प्रतिपूर्ति की जाएगी :

24. (ख) (i) (V)

कैंसर, तपेदिक, पक्षाघात, हृदय रोग, ट्यूमर, चेचक, प्लूरिसी, डिप्थीरिया, कुष्ठरोग, गुर्दे की खराबी।

विनियम, 25

कोई भी अधिकारी बैंक द्वारा आवास उपलब्ध कराए जाने के लिए साधिकार हकदार नहीं होगा। किंतु यदि बैंक चाहे तो आवास उपलब्ध करा सकता है जिसके लिए वह दिनांक 1-11-1987 को और उसके बाद से, अपने वेतनमान के प्रथम प्रक्रम के 6% या आवास के लिए मानक किराए का, जो भी कम हो, भुगतान करेगा। परंतु यदि ऐसे अवसर पर फर्नीचर भी उपलब्ध कराया गया हो तो अधिकारी से उसके वेतनमान के प्रथम प्रक्रम के 1½% के बराबर अतिरिक्त राशि वसूल की जाएगी। यदि बैंक द्वारा ऐसा आवास उपलब्ध कराया जाता है तो बिजली पानी, गैस और सफाई प्रभार अधिकारी द्वारा दिए जाएंगे।

विनियम 34 (i)।

1-1-1989 को और उसके बाद से, अधिकारी अपने संपूर्ण सेवाकाल के दौरान, अपनी सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 30 दिन के हिसाब से अधिक से अधिक 18 महीने की बीमारी-छुट्टी का पात्र होगा। उसके संपूर्ण सेवा-काल में इस प्रकार 540 दिन की छुट्टी संचित की जा सकती है लेकिन यह छुट्टी बैंक को स्वीकार्य या बैंक द्वारा अपने खर्च पर अपने विवेक से नामित किसी चिकित्सक का चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करके ही ली जा सकती है।

विनियम 35 :

1-1-1989 को और उसके बाद से, जिस अधिकारी ने 24 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, वह 24 वर्ष से अधिक की प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए एक महीने के हिसाब से बीमारी की अतिरिक्त छुट्टी पाने का पात्र होगा, लेकिन बीमारी की यह अतिरिक्त छुट्टी अधिक से अधिक तीन महीने की होगी।

विनियम 41 :

जब किसी अधिकारी से ड्यूटी पर यात्रा करने की अपेक्षा की जाती है तो उस पर निदेशक-मण्डल द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख से निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे—

(1) (i) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी का अधिकारी रेल की प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित शयनयान में यात्रा कर सकता है। किंतु कारोबार की आवश्यकताओं या लोकहित को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से वह (इकॉनमी श्रेणी में) विमान द्वारा यात्रा कर सकता है।

(ii) मध्य प्रबंधन श्रेणी का अधिकारी रेल की प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित शयनयान में यात्रा कर सकता है किन्तु यदि यात्रा की दूरी 500 किलोमीटर से अधिक है। तो वह इकॉनमी श्रेणी में विमान द्वारा यात्रा कर सकता है। परन्तु कारोबार की आवश्यकता या लोकहित को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से वह इससे कम दूरी की यात्रा भी (इकॉनमी श्रेणी में) विमान द्वारा कर सकता है।

(iii) वरिष्ठ प्रबंधन या उच्च कार्यपालक श्रेणी का अधिकारी रेल की वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में या (इकोनॉमी श्रेणी में) विमान द्वारा यात्रा कर सकता है।

(iv) वरिष्ठ प्रबंधन या उच्च कार्यपालक श्रेणी का अधिकारी ऐसे स्थानों के बीच जो विमान सेवा या रेल सेवा से जुड़े हुए है, कार द्वारा यात्रा कर सकता है बशर्ते कि यात्रा की यह दूरी 500 किलोमीटर से अधिक न हो। किंतु यदि उक्त दोनों स्थानों के बीच की अधिकांश दूरी विमान या रेल द्वारा तय की जा सकती हो तो सामान्यतः बेदल शेष दूरी कार द्वारा तय की जानी चाहिए।

विनियम 42(2) :

(1) 1-6-1989 को और उसके बाद से, स्थानांतरित अधिकारी को मालगाड़ी से अपने सामान के परिवहन के लिए निम्नलिखित सीमाओं के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाएगी :—

| वेतन सीमा | परिवार-सहित | परिवार-रहित |
|---|---|---|
| रु० 2100/-प्र०मा० से रु० 3060/-प्र०मा० | 3000 किलोग्राम | 1000 किलोग्राम |
| रु० 3061/-प्र०मा० और उससे अधिक | पूरा मालडिब्बा | 2000 किलोग्राम |

विनियम 45(2) :

बैंक भविष्य निधि पर समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार, अंशदान देगा परंतु उसके अंशदान की राशि, 1-11-1987 को और उसके बाद से 31-12-1988 तक वेतन के 80% का 10%, 1-1-1989 को और उसके बाद से 31-12-1989 तक वेतन के 90% का 10% और 1-1-1990 को और उसके बाद से वेतन का 10% होगी।

विनियम 46(2) :

अधिकारी को देय उपदान की राशि सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए एक माह का वेतन, जो अधिक से अधिक 15 माह का वेतन हो सकता है।

परंतु यदि किसी अधिकारी ने 30 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी की है, वह उपदान के रूप में, तीस वर्ष से ऊपर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए आधे माह के वेतन की दर से अतिरिक्त राशि का पात्र होगा।

टिप्पणी : यदि सेवाकाल के पूर्ण वर्षों के अतिरिक्त छह महीने या उससे अधिक की कोई अवधि बचती है तो उस अवधि के लिए आनुपातिक आधार पर उपदान दिया जाएगा।

ए० राय
उप महा प्रबंधक (कार्मिक एवं सेवाएं)

---

दी इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स आफ इंडिया

नई दिल्ली 110002, दिनांक 5 अक्तूबर 1990

सं० 28-आर०सी० (2)/25/90—चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स रेगुलेशन 1988 के रेगुलेशन 159(1) के अनुसरण में दि कौंसिल आफ दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स ऑफ इंडिया को 1 अक्तूबर, 1990 से टुटिकोरिन में दक्षिण भारत क्षेत्रीय परिषद की शाखा स्थापित करने की सूचना देते हुए प्रसन्नता है। यह शाखा दक्षिण भारत क्षेत्रीय परिषद की टुटिकोरिन शाखा मानी जाएगी।

रेगुलेशन 159(3) के अन्तर्गत जैसा कि निर्धारित है, यह शाखा क्षेत्रीय परिषद के माध्यम से परिषद के नियंत्रण, पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में कार्य करेगी और सभी उन निर्देशों का पालन करेगी जो कि परिषद द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएंगे।

सं० 28-आर०सी० (3)/24/90—चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स रेगुलेशन 1988 के रेगुलेशन 159(1) के अनुसरण में दि कौंसिल आफ दि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स आफ इंडिया को 1 अक्तूबर, 1990 से सिलीगुड़ी में पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद की शाखा स्थापित करने की सूचना देते हुए प्रसन्नता है। यह शाखा पूर्वी भारत क्षेत्रीय परिषद की सिलीगुड़ी शाखा मानी जाएगी।

रेगुलेशन 159(3) के अन्तर्गत जैसा कि निर्धारित है, यह शाखा क्षेत्रीय परिषद के माध्यम से परिषद् के नियंत्रण, पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में कार्य करेगी और सभी उन निर्देशों का पालन करेगी जो कि परिषद द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएंगे।

सं० 28-आर०सी० (4)/23/90—चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स रेगुलेशन 1988 के रेगुलेशन 159(1) के अनुसरण में दि कौंसिल आफ दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स आफ इंडिया को 1 अक्तूबर, 1990 से अजमेर में मध्य भारत क्षेत्रीय परिषद की शाखा स्थापित करने की सूचना देते हुए प्रसन्नता है। यह शाखा मध्य भारत क्षेत्रीय परिषद की अजमेर शाखा मानी जाएगी।

रेगुलेशन 159(3) के अन्तर्गत जैसा कि निर्धारित है, यह शाखा क्षेत्रीय परिषद के माध्यम से परिषद् के नियंत्रण पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में कार्य करेगी और सभी उन निर्देशों, का पालन करेगी जो कि परिषद द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएंगे।

एम० सी० नरसिम्हन,
सचिव

---

बम्बई—400005, दिनांक 9 अक्तूबर 1990

3 डब्लू० सी० ए० (5)/10/90-91—उक्त संस्थान को अग्रसूचना। 3 डब्लू० सी० ए० (4)/5/89-90 दिनांक 3/10/89, 3 डब्लू० सी० ए० (4)/7/86 दिनांक 25/2/1987, 3 डब्लू० सी० ए० (4)/21/89-90 दिनांक 9/3/1990, 3 डब्लू० सी० ए० (4)/12/89-90, दिनांक

20–11–89. के संदर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 20 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी गई तिथियों से स्थापित कर दिया है ।

| क्र० संख्या | सदस्यता संख्या | नाम एवं पता | दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 6630 | श्री वसंत विष्णू पाटक,<br>ए० सी० ए०<br>एअर इंडिया, ओल्ड एअर पोर्ट<br>सांताक्रुझ (पू०),<br>बंबई–400029 । | 16–7–90 |
| 2. | 14180 | श्री जगदीश वि० ठक्कर,<br>ए० सी० ए०<br>2, अरुनोदया सोसायटी,<br>अलकापूरी,<br>बरोडा–390005 । | 11–7–90 |
| 3. | 15197 | श्री देविदास वसंत गाईतोंडे<br>ए० सी० ए०<br>डी०/21, मनगिरीश सोसायटी,<br>एल० जे० रोड, 10 नोटानी रोड,<br>माहीम<br>बंबई–400016 । | 24–7–90 |
| 4. | 16747 | मिसेस वदना एच० मेहता,<br>ए० सी० ए०,<br>11, एम० ए० श्रेलवी रोड,<br>ब्लाक नं० 46,<br>बंबई–400001 । | 11–7–90 |
| 5 | 17290 | श्री जगदीश वनमाली बजारा,<br>ए० सी० ए०,<br>पो० बॉ० नं० 41521,<br>नाईरोबी,<br>केनया । | 12–7–90 |
| 6. | 31454 | श्री वल्लभदास नदलाल दत्त,<br>ए० सी० ए०,<br>8, गुलशन अपार्टमैन्टस,<br>न्यू बंबई आग्रा रोड,<br>नाशिक–400001 । | 20–7–90 |
| 7. | 31871 | श्री वहो चंद्रशेखरन, एफ० सी० ए०<br>पो० बॉ० नं० 1169,<br>दुबई<br>यू० ए० ई० । | 16–7–90 |
| 8. | 32570 | श्री मयूर जे० मेहता<br>ए० सी० ए०,<br>70/70–ए०, झवेरी बजार,<br>तिसरी मंजील,<br>बंबई–800002 । | 26–7–90 |
| 9. | 34934 | श्री चन्द्रप्रकाश आ० दोशी,<br>ए० सी० ए०,<br>ए०–16, मनगढ़ को–आप०<br>हाउसिंग<br>सोसायटी नियर सम्बता<br>हाई स्कूल<br>थाणे (ई)<br>बंबई–400059 । | 21–6–1990 |
| 10. | 36456 | श्री मिलन पी० शाह,<br>ए० सी० ए०,<br>कोरे प्रिन्टराल्म लि०,<br>चौथी मंजिल, नारायन चेम्बर्स,<br>आश्रम रोड<br>अहमदाबाद–380009 । | 24–7–90 |
| 11 | 36756 | श्री प्रकाश पी० पोपट,<br>ए० सी० ए०<br>2, "सोनेट"<br>प्लॉट नं० 248<br>शेर ई पंजाब<br>सोसायटी, अंधेरी (ई)<br>बंबई–400013 । | 1–10–190 |
| 13. | 42447 | श्री प्रवीण श्रीपाद सालेराव,<br>ए० सी० ए०,<br>समर्था को–ऑप सोसायटी,<br>पालीदर्शन बाग,<br>ईरांदवाना,<br>पुणे–411004 । | 30–7–90 |
| 14. | 72071 | मिसेस पोजिमा विश्वनाथन<br>ए० सी० ए०<br>13/1, गोदरेज हिलसाईड<br>कालोनी,<br>फिरोज शाह नगर,<br>बंबई–400079 । | 9–7–90 |

एम० सी० नरसिम्हन,
सचिव

कलकत्ता–700071, दिनांक 9 अक्तूबर 1990

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

नं० 3–ई० सी० ए० (8)/5/90–91––चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 10 (1) खण्ड (तीन) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों को जारी किए प्रैक्टिस प्रमाण पत्र उनके आगे दी गई तिथियों से रद्द कर दिए गए हैं क्योंकि वे अपने प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र को रखने के इच्छुक नहीं हैं।

| क्र० सं० | सदस्या सं० | नाम एवं पता | दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1. | 16331 | श्री सुभाष कुमार झुनझुनवाला, एफ० सी० ए०, 13, अर्मेनियम स्ट्रीट, कलकत्ता 700 001 | 14–8–90 |
| 2. | 50048 | श्री सर्गीत कुमार मुखोपाध्याय, ए० सी० ए०, 96, बालाराम दे स्ट्रीट, कलकत्ता 700 006 | 26–7–90 |
| 3. | 50929 | श्री पवन कुमार स्या, एफ० सी० ए०, 5, स्मल स्ट्रीट, कलकत्ता–700071 | 9–7–90 |
| 4. | 54148 | श्री प्रद्युत कुमार बरुआ, ए० सी० ए०, 9, बाय लेन, आर० जी० बरुआ रोड, गोहाटी–781024। | 1–6–90 |

दिनांक 16 अक्तूबर, 1990

नं० 3–ई० सी० ए० (5)/7/90–91––इस संस्थान की अधिसूचना नं० 29–सी० ए०/लॉ/डी–16/90 दिनांक 6–3–90 और 3–ई० सी० ए० (4)/6/89–90 दिनांक 2–11–89 के सन्दर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 20 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी गई तिथि से स्थापित कर दिया है।

| क्र० सं० | सदस्यता सं० | नाम एवं पता | दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1 | 13196 | श्री संतोष कुमार भौमिक एफ० सी० ए०, मैसर्स एस० भौमिक एण्ड कं०, 1, नेताजी, सुभाष रोड, 2 फ्लोर, कलकत्ता–700001। | 12–8–90 |
| 2 | 52337 | श्री सुन्दराम श्रीधर, ए० सी० ए०, 20, विपिन पाल रोड, कलकत्ता–700026। | 20–8–90 |

एस० सी० नरसिम्हन,
सचिव

मद्रास–600034, दिनांक 9 अक्तूबर 1990

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

नं० 3– एस० सी० ए० (4)/6/90–91––चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 की उपधारा (1) (क) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से मृत्यु हो जाने के कारण निम्नलिखित सदस्यों का नाम उनके आगे दी गई तिथि से हटा दिया है।

| क्र० सं० | सदस्यता संख्या | नाम एवं पता | दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1 | 8676 | श्री ए० वेंकटाचार, 27, कैथेड्रल गार्डन रोड, मद्रास–600034। | 15–4–90 |
| 2 | 25613 | श्री के० रमेश, न० 39, नेलसन मणिकम रोड, अमीनजीकराई, मद्रास–600029। | 21–4–90 |

नं० 3– एस० सी० ए० (8)/4/90–91––चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 10 (1) खण्ड (तीन) के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों को जारी किए प्रैक्टिस प्रमाण पत्र उनके

आगे दी गई तिथियों से रद्द कर दिए गए हैं क्योंकि वे अपने प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र रखने के इच्छुक नहीं हैं ।

| क्र० सं० | सदस्यता संख्या | नाम एवं पता | दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 7310 | श्री ए० राजाशेखरन,<br>ए० सी० ए०,<br>20, मरुधा नगर, वादुवल्ली,<br>कोयम्बटोर–641041 । | 1–8–90 |
| 2. | 20353 | श्री के० नारायनास्वामी,<br>ए० सी० ए०,<br>मैनेजर (प्रोजैक्ट फाईनैन्स),<br>श्री कृष्णापिरन मिल्स लि०,<br>पी० बी० नं० 1,<br>गौरीपलायाम पोस्ट,<br>कोयम्बटूर–641028 । | 23–3–90 |
| 3. | 21729 | श्री एम० रविन्द्रानाथ,<br>एफ० सी० ए०,<br>759, 3 ब्लॉक राजाजीनगर,<br>बंगलोर–560010 । | 21–6–90 |
| 4. | 21921 | श्री टी० रघुनाथन,<br>ए० सी० ए०,<br>18, जलान केचिल,<br>अपार्टमैंट नं० 06–22,<br>सिंगापोर–1543 । | 1–7–90 |
| 5. | 22253 | श्री एम० बालासुन्दरम,<br>ए० सी० ए०,<br>पी० ओ० बॉक्स 459,<br>विक्टोरिया,<br>सीचल्लैस | 26–6–90 |
| 6. | 25594 | श्री एम० महालिंगम,<br>ए० सी० ए०,<br>मधुकराई वाया, पिचातूर<br>पी० ओ०–641105,<br>कोयम्बटूर डिस्ट० | 11–5–90 |
| 7. | 26672 | श्री आर० वेंकटरामन,<br>ए० सी० ए०,<br>562, 17 स्ट्रीट, 4 सैक्टर,<br>के० के० नगर,<br>मद्रास–600078 । | 1–4–90 |
| 8. | 28131 | श्री बी० बालाचन्द्रन नायर,<br>ए० सी० ए०,<br>मैनेजर (एफ० एण्ड ए),<br>दि प्लान्टैसन कारपोरेशन<br>आफ केरला लि०,<br>वैस्ट हिल पी० ओ०,<br>कोझीकोड–673005 । | 1–12–89 |

एम० सी० नरसिम्हन,
सचिव

## कर्मचारी राज्य बीमा निगम

दिल्ली–110002, दिनांक 15 अक्तूबर, 1990

सं० एन० 15/13/7/3/90–यो० एवं० वि०—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950 के 95–क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 16–9–90 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95– क तथा कर्नाटक कर्मचारी राज्य बीमा (चिकित्सा हितलाभ) नियम 1958 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ कर्नाटक राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे ।

अर्थात्

| राजस्व ग्राम का नाम व नगर पालिका सीमा | होबली | तालुक | जिला |
|---|---|---|---|
| चोलानयाकानहल्ली | कसबा | बंगलौर उत्तर | बंगलौर |
| चोलानयाकान हल्ली ग्रुप पंचायत | | | शहरी क्षेत्र |

सं० एन०–15/13/15/2/90– यो० एवं० वि० — कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य विनियम–1950 के विनियम 95–क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 16–9–90 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95–क तथा पश्चिम बंगाल कर्मचारी राज्य बीमा (चिकित्सा हितलाभ) नियम–1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ पश्चिम बंगाल राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे ।

अर्थात्

"दुर्गापुर अधिसूचित क्षेत्र"

ए० सी० जुनेजा,
निदेशक (योजना एवं विकास)

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 15 अक्तूबर 1990

सं०के० भ० नि० आ०/1(4) पंजाब (187)/90/7625—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं में संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हो गए हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किए जायें ।

| क्र० सं० | कोड सं० | स्थापना का नाम व पता | व्याप्ति की तिथि |
|---|---|---|---|
| 1. | पी० एन०/ 10923 | मै० एशिया इन्वैस्टमेन्ट (प्रा०) लिमिटेड, रोड सं० 1, सैक्टर-8, पारवानू, जिला सोलन, (हि० प्र०) और पंजीकृत कार्यालय बम्बई । | 1-9-87 |
| 2. | पी० एन०/ 12875 | मै० पंजाब पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड, एस० सी० ओ० सं० 171-72, सैक्टर-8-सी, मध्य मार्ग, चन्डीगढ़-160018 और इसके चार डिविजन्स, पटियाला, जालंधर, भटिंडा और मोहाली । | 1-6-90 |

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं को उस या उस प्रभावी तिथि से अधिनियम का लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शाई गई है ।

सं० के० भ० नि० आ०/1(4) दिल्ली (184)/90/7613—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं में संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हो गए हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किए जायें ।

| क्र० सं० | कोड सं० | स्थापना का नाम व पता | व्याप्ति की तिथि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | डी० एल०/ 9567 | मै० अल्टीमेट वीडियो ट्रोनिक्स (इंडिया) लि०, 124-नव-जीवन विहार, नई दिल्ली-17 । | 1-10-88 |
| 2. | डी० एल०/ 8502 | मै० डी० एच० बुडहैड लि०, बी-59, सर्वोदय इन्कलेव, श्री अरबिन्दो मार्ग, नई दिल्ली-17 और इसकी फैक्टरी प्लाट नं०-3, रोज-का-भियो इंडस्ट्रीयल एरिया, पो० ओ० सोना, जिला गुड़गांवा (हरियाणा) । | 1-6-86 |
| 3. | डी० एल०/ 8974 | मै० शाक इंडस्ट्रीज, डी० एस० आई० डी० सी० रोड नं० 93, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया फेज-II, नई दिल्ली-20 और इसका कार्यालय 13/22, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-19 और पंजीकृत कार्यालय बी०-1 गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली-49 । | 1-10-87 |
| 4. | डी० एल०/ 10958 | मै० काटन वेज, बी-186, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेज-I, नई दिल्ली । | 1-3-89 |
| 5. | डी० एल०/ 10807 | मै० सुप्रीम सविसेज 2680, बीडन पुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-5 । | 1-3-89 |

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं को उस या उस प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते है जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शाई गई है ।

सं० के० भ० नि० आ०/ 1(4) गुजरात(185)/ 90/ 7617—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं में संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हो गए हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952

(1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किए जायें ।

| क्र० सं० | कोड नं० | स्थापना का नाम व पता | व्याप्ति की तिथि |
|---|---|---|---|
| 1. | जी०जे०/16903 | मै० नवानगर कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, 17-बी, दिग विजय प्लाट, जामनगर । | 01-07-88 |
| 2. | जी०जे०/16841 | मै० डिके इंजीनियरिंग सर्विसेस, प्लाट न० 604, जी०आई० डी०सी० इंडस्ट्रीयल इस्टेट, अंकलेश्वर । | 01-02-88 |

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपयुक्त स्थापनाओं को उस या उन प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शाई गई है ।

सं० के०भ०नि०आ०/1 (4) महाराष्ट्र (186)/90/7613—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हो गए हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952-(1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किए जायें ।

| क्र० सं० | कोड नं० | स्थापना का नाम व पता | व्याप्ति की तिथि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | एम०एच०/35091 | मै० साईकृपा सहकारी पटपेढी मर्यादित, गाप न० 1, हरीस्मृति, कोपारकर हाऊस, भांडुप विलेज, भांडुप (ई), बम्बई-78 । | 01-03-89 |
| 2. | एम०एच०/35369 | मै० मिजन्स एडवर्टाईजिंग एसोसिएटस्, 521, मेकर चेम्बर न० 5, नरीमन पाइण्ट, बम्बई-21 । | 01-07-88 |
| 3. | 10245 | मै० ग्लोब इन्टरप्राईजिज, हाउस नं० 242, मोकोलवाडो अस्सागाव बारडेज—गोवा । | 01-08-89 |
| 4. | एम०एच०/29125 | मै० खोडासी हाईवे सर्विस, पुना बंगलौर हाईवे खोडसी, तालुक कराड, जिला सतारा । | 01-04-89 |
| 5. | एम०एच०/29074 | मै० यशवंत नागरी सहकारी पत संस्था लि०, 176, मंगलवार पेठ, कराड, जिला सतारा । | 01-01-89 |
| 6 | एम०एच०/35704 | मै० गन्नी ग्रे० यूरेस, ग्राउण्ड फ्लोर, पितरूछाया माधवी इस्टेट, गोवंडी स्टेशन रोड, बम्बई-88 और इसका पंजीकृत कार्यालय मातरूछाया 153/ए, जैन सोसायटी सियोन (वेस्ट), बम्बई-22 । | 01-06-89 |

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपयुक्त स्थापनाओं को उस या उन प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शाई गई है ।

सं० के०भ०नि० आ०/ 1 (4) तमिलनाडु (188)/ 90/7629—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हो गए हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किए जायें ।

| क्र० सं० | कोड नं० | स्थापना का नाम व पता | व्याप्ति की तिथि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | टी०एन०/24125 | मै०सी०अनानथी एण्ड कम्पनी, 60, साउथ राजा स्ट्रीट, टूटीकोरिन-1 | 01-03-90 |
| 2. | टी०एन०/22474 | मै० सिंह इन्टरप्राईजिज, 333 एस०एन०-चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-600081 । | 01-03-88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 3. | टी०एन०/ 23626 | मैं० बी०पी० फाउन्ड्री 25, टी०एच० रोड, मद्रास-81 | 01-02-90 |
| 4. | टी० एन०/ 23570 | मैं० एकमर्पा ट्रेडिंग क०, 8, पाटुल्लाम रोड, मद्रास-2 | 01-01-90 |
| 5. | टी०एन०/ 23511 | मैं० एन०सी० आर्य स्नफ एण्ड सिगार कम्पनी, 19, डविडसन स्ट्रीट, मद्रास-1 और इसकी शाखा 8, गुरुनाथन स्ट्रीट, टन्नूर, त्रिची-17 | 31-12-89 |
| 6. | टी०एन०/ 23608 | मैं० वीरामुथु सिक्यूरिटी सर्विस, सं०15, 6वीं स्ट्रीट, अन्नाई शिवाकामी नगर, एन्नौर, मद्रास-57 | 01-09-89 |
| 7. | टी०एन०/ 23600 | मैं० ए० एल० इन्टरप्राईजिज 39, सेल्वा वीनायागार कोइल स्ट्रीट, बालकृष्णा नगर, थीरुवोट्टीयूर मद्रास-600 019 | 01-11-89 |
| 8. | टी०एन०/ 24122 | मैं० बाबू एजेन्सीज, 14, नेट्ट स्ट्रीट, डिंडीगुल-624001 | 31-12-89 |
| 9. | टी०एन०/ 24188 | मैं० मद्रास सस्पेन्शन्स (प्रा०) लिमिटेड, 344/5, अयानकोट्टाई, थानीचीयम विलेज, वादी पट्टी (तालुक) मदुरै जिला एवं इसके प्रशासनिक और पंजीकृत कार्यालय 32, वर्कशाप रोड पो०बा० 88 सेमाकल मदुरई-625001 और 36 वर्कशाप रोड मदुराई-625001 | 01-04-90 |
| 10. | टी०एन०/ 24182 | मैं० आर० पुडुकोट्टाई प्राईमरी एग्रीकलचरल कोआपरेटिव बैंक, आर० पुडुकोट्टाई पोस्ट, कोवीलूर वाया वेडसन्दूर तालुक, डींडीगल क्वायड-ए-मीलाथ जिला० | 28-2-90 |
| 11. | टी०एन०/ 24104 | मैं० जेमन कोटाई प्राईमरी एग्रीकल्चरल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोडानगी पट्टी पोस्ट वेडासान्दूर तालुक, डींडीगल क्वा०-इ-एम० जिला | 01-01-90 |
| 12. | टी०एन०/ 24085 | मैं० देवेया इस्टेट मनालूर, पेरूमबराय पोस्ट, डींडीगल तालुक, डींडीगुल, क्वायड-इ-मीलाथ जिला | 30-11-89 |
| 13. | टी०एन०/ 25019 | मैं० सगटुरक पाउडर कल्चीज (प्रा०) लिमिटेड 14-शिपकोट शोपिंग कम्पलैक्स होसूर-635126 | 01-01-90 |
| 14. | टी०एन०/ 12321 | मैं० अन्नामलायर टायर रिट्रेडिंग कम्पनी प्रा०लि०, 48, नमियानूर रोड नागाणा वलामु एरोड-9 और इसकी शाखा 14-नेहरू स्टेडियम कम्पलैक्स कोयम्बटूर-641018 | 01-04-82 |
| 15. | टी०एन०/ 24048 | मैं० अन्ना सिक्यूरिटी सर्विस 102 ए, वेस्ट मरियानाथापुरम डींडीगुल-624006 | 01-10-89 |
| 16. | टी०एन०/ 20799 | मैं० गणेश आयल मिल्स, 47, एटायापुरम रोड (एक्सटेंशन), टूटीकोरीन-2 | 01-12-88 |
| 17. | टी०एन०/ 24143 | मैं० वीरा एजेन्सीज 6-ए, सालानगर स्ट्रीट, टूटीकोरीन-628003 और इसका प्रशासनिक कार्यालय 52, ग्रेट स्ट्रीट काटन रोड, टूटीकोरिन-1 | 01-04-90 |
| 18. | टी०एन०/ 25036 | मैं० श्री मुथा इन्टरप्राईजिज, सा०-39, हाउसिंग यूनिट थाल्ली रोड, होसूर | 01-02-90 |
| 19. | टी०एन०/ 20940 | मैं० एस० के०डी० रामा-फाईबर्स, 167, कुरुजपुरम, टूटीकोरिन-1 | 01-05-89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 20. | टी०एन०/ 21957 | मै० दी० नाल्लमपल्ली एसो० इंजीनियरिंग एण्ड सर्विस कोआपरेटिव सेंटर लि०, सं० के०के० 375, नाल्लमपल्ली—636807, धर्मपुरी जिला । | 01-10-89 |

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं को उस या उस प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शाई गई है ।

दिनांक 25 अक्तूबर 1990

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-I/7795—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं बी. एन. सोम, प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने (अनुसूची-1 में) उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त पुना . . . . . से स्कीम की धारा 28(7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, 28-2-90 तक की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं ।

अनुसूची-1

| क्रम सं० | स्थापना का नाम | कोड संख्या | छूट की प्रभावी तिथि | के० ओ० फा० सं० |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | मैसर्स बजाज इलैक्ट्रीकल्स लि०, (मेथवेल यूनिट) आफिस नगर रोड, पुणे-411014 | एम० एच०/646 | 1-1-89 से 28-2-90 | 2/2123/89-डी० एल० आई० |
| 2. | मैससे सकल पेपरस प्रा० लि० 55, बुद्ध वारपेट-पुणे-411002, (इण्डिया) तथा इसके शाखायें इसी कोर्ड नम्बर के अन्तर्गत कवर्ड है जो बम्बई, कोलापुर तथा नासिक पर स्थित हैं । | एम० एच०/1225 | 1-1-89 से 28-2-90 | 2/2751/90-डी० एल० आई० |
| 3. | मैसर्स दत्तात्रैया इण्डस्ट्रीज, प्रा० लि०, 691, ए/1ए1, पुणे, सतारा रोड, पुणे-411037, साथ में इसकी बम्बई आफिस भी इसी कोड संख्या के अन्तर्गत कवर्ड है । | एम० एच०/2272 | 1-9-88 से 28-2-90 | 2/2718/90-डी० एल० आई० |
| 4. | मैसर्स इगल फ्लास्क इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) प्रा० लि० (प्लास्टिक डिविजन) इगल स्टेट, पो ओ० तलेगाव जनरल हास्पिटल, तलेगांव-410507, जिला पुणे | एम० एच०-4400-ए | 1-8-89 से 28-2-90 | 2/2717/90-डी० एल० आई० |
| 5. | मैसर्स इगल फ्लास्क इण्डस्ट्रीज (इण्डिया प्रा० लि० प्रोसेसिंग डिविजन) पी० ओ० तलेगांव जनरल हास्पिटल तलेगांव 410507, जिला पुना | एम० एच०/4400 | 1-8-88 से 28-2-90 | 2/2717/90-डी० एल० आई० |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 6. | मैसर्स इन्टरनेशनल कम्प्यूटरस इण्डिया मैन्यु-फैक्चरिंग लि०, नागर रोड, पुणे–411014 | एम० एच०/7125 | 1–8–89 से 28–2–90 | 2/921/83–डी० एल० आई० |
| 7. | मैसर्स पुना आक्सीजन एण्ड एक्टीलीन कं० (प्रा०) लि०, 40/41, हाडप्सर इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, पुणे–411013 तथा इसी कोड नं० के अन्दर डिपो भी कवर्ड हैं। | एम० एच०/11370 | 1–12–89 से 28–2–90 | 2/2748/90–डी एल० आई० |
| 8. | मैसर्स रोप्लास (इण्डिया) लि०, 145, बम्बई पुणे रोड, पिम्प्री पुणे–411018 | एम० एच०/11779 | 1–12–89 से 28–2–90 | 2/2714/90–डी० एल० आई० |
| 9. | मैसर्स सेरम इन्स्टिट्यूट आफ इण्डिया प्रा० लि० 212/2, हाडप्सर, पुणे–411028 तथा इसकी सभी शाखायें इसी कोड नं० के अन्तर्गत कवर्ड है। | एम० एच/12845 | 1–7–88 से 28–2–90 | 2/2752/90–डी० एल० आई० |
| 10 | मैसर्स फिनोलेक्स पाइपस प्रा० लि०, ब्लाक डी–1, प्लाट नं० 10, एम० आई० डी० सी० चिन्चवाड़, पुणे–411019 | एम० एच०/13223 | 1–6–88 से 28–2–90 | 2/2716/90–डी० एल० आई० |
| 11. | मैसर्स ट्रेड टीम प्रा० लि० इगल स्टेट पी० ओ० एम० एच०/15289 तलेगांव, जनरल हास्पिटल तलेगाव–410507, जिला पुणे | | 1–8–88 से 28–2–90 | 2/2745/90–डी० एल० आई० |
| 12. | मैसर्स प्रेसिसन इंजीनियरिंग कं० प्लाट नं० 15, सर्वे नं० 17–बी०, कोथुई, पुणे–411029 | एम० एच/18179 | 1–9–80 से 28–2–90 | 2/2747/90–डी० एल० आई० |
| 13. | मैसर्स भगीनीनिवेदिता सहकारी बैंक लि०, 387/388, नारयानपेठ, राष्ट्र भाषा भवन, पुणे–411030 | एम० एच०/18882 | 1–10–89 से 28–2–90 | 2/2746/90–डी० एल० आई० |
| 14. | मैसर्स एवन प्रैकस्ट इण्डस्ट्रीज, द्वारा श्री ए० एन० मलेगांनकर, 103, शिवाजीनगर, चुना वाला चेम्बरस, बिहांड़ मंगला थियेटर, पुणे 411005 | एम० एच०/19666 | 1–1–89 से 28–2–90 | 2/2721/90–डी० एल० आई० |
| 15. | मैसर्स पूनावाला इन्वेस्टमेंटस प्रा० लि०, मरोण भवन 16/बी–1, डा० अम्बेडकर रोड, पुणे–411001 | एम० एच०/19667 | 1–7–88 से 28–2–90 | 2/2750/90–डी० एल० आई० |
| 16. | मैसर्स साइजाकेम प्रा० लि० मरोश भवन, 16–बी/1, डा० अम्बेडकर रोड, पुणे–411001 | एम० एच०/19668 | 1–7–88 से 28–2–90 | 2/2753/90–डी० एल आई० |
| 17. | मैसर्स निखील इक्यीपमेंटस प्रा० लि०, 20/4 सी, भाउसाहेब पाटील, रोड, बोपोडी, पुणे–411003 | एम० एच०/21243 | 1–3–88 से 28–2–90 | 2/2749/90–डी० एल० आई० |
| 18. | मैसर्स पदमसी कन्सोलीडेटेड, प्रा० लि० सर्वे म० 663/2, अपो० नेशनल हाइवे प्राजेक्ट, बम्बई पूना रोड, तलेगांव, दभाडे, जिला पूना | एम० एच०/30051 | 1–8–88 से 28–2–90 | 2/2745/90–डी० एल० आई० |
| 19. | मैसर्स अपर्ना लिविंग प्रा० लि०, 54/32, डी 2. ब्लाक, एम० आई० डी० सी० चिन्चीवाड़, पुणे–411019 | एम० एच०/30094 | 1–8–89 से 28–2–90 | 2/2720/90–डी० एल० आई० |
| 20. | मैसर्स निसारगोप्चर ग्राम सुधार ट्रस्ट, यूरिलीकन्चन जिला पूना 412202 | एम० एच०/30133 | 1–2–89 से 28–2–90 | 2/2719/90–डी० एल० आई० |

अनुसूची-।।

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खंड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख से भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/7789—जहां मैसर्स कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम, बंगलौर कोड सं. के. एन./989 (ए से एस) तथा इसकी शाखाएं जो कि इस कोड नं. के अन्तर्गत हैं ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबंधक बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्थापना को उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत दिनांक 1-1-88 से 28-2-90 तक की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं ।

**अनुसूची**

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन को बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-युक्त अवसर देगा ।

9 यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख से भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

दिनांक 26 अक्तूबर 1990

सं 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/7864—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने (अनुसूची-1 में) उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस निधि में उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अन्ध्र प्रदेश ने स्कीम की धारा 28(7) के अंतर्गत छूट प्रदान की है, 28-2-90 तक की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं ।

अनुसूची–1

क्षेत्र आन्ध्र प्रदेश

| क्र० सं० | स्थापना का नाम और पता | कोड संख्या | छूट की प्रभावी तिथि | के आ० फा० नं० |
|---|---|---|---|---|
| 1. | मैसर्स दि निजाम शूगर फैक्ट्री लि०, फतेह मैदन, रोड, पी० बी० नं० 1, खैरताबाद, हैदराबाद–500004 और इसकी शाखायें | ए०पी०/158, ए पी/289 ए०पी०/40, ए पी/41 और ए० पी०/6110 | 1–4–89 से 28–2–90 | 2/2903/90–डी० एल० आई० |
| 2. | मैसर्स सिकन्दराबाद कल्लब, पिकेट, सिकन्दराबाद-500003 | ए० पी०/1522 | 1–8–89 से 28–2–90 | 2/2904/90–डी० एल० आई० |
| 3. | मैसर्स नेथा स्पीनिंग मिल्ज, 608, इलेचीगुदा लोवर, टैंक, बन्द रोड, सिकन्दराबाद–500380 | ए० पी०/1882 | 1–8–89 से 28–2–90 | 2/1905/90–डी० एल० आई० |
| 4. | मैसर्स करीमनगर जिला को० ओ० सेन्ट्रल बैंक लि०, करीमनगर, आन्ध्र प्रदेश और इसकी शाखायें जो उक्त कोड संख्या के अधीन कवर्ड है। | ए० पी०/2441 | 1–5–88 से 28–2–90 | 2/2695/90–डी० एल० आई० |
| 5. | मैसर्स रामाकृष्ण होमयो स्टोरस, 434, बैंक स्ट्रीट, पी० बी० संख्या 109 हैदराबाद–500001 | ए० पी०/2680 | 1–10–89 से 28–2–90 | 2/2906/90–डी० एल० आई० |
| 6. | मैसर्स हैदराबाद केमिकल्स सप्लायर्स प्रा० लि०, ए–24/25, एसीटिड प्रा० इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, बालानगर, हैदराबाद–500037, और इसकी शाखायें जो उक्त कोड संख्या के अधीन कवर्ड है | ए० पी०/3309 | 1–2–89 से 28–2–90 | 2/2907/90–डी० एल० आई० |
| 7. | मैसर्स हैदराबाद गैस कम्पनी 23, लाल बहादुर स्टेडियम, हैदराबाद–500001 | ए० पी०/3648 | 1–3–89 से 28–2–90 | 2/2908/90–डी० एल० आई० |
| 8. | मैसर्स आन्ध्र प्रदेश स्टेट पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लि०, डायरेक्टर जनरल आफ पुलिस आफिस कम्पाउण्ड, सैफाबाद, हैदराबाद-500004 | ए० पी०/6149 | 1–11–87 से 28–2–90 | 2/2910/90–डी० एल० आई० |
| 9. | मैसर्स मार्गदर्शी फाइनेन्सर्ज, 4–1–833/2, मार्गदर्शी हाउस, एबिडसेंटर, हैदराबाद–500001 | ए० पी०/6367 | 1–3–89 से 28–2–90 | 2/2911/90–डी० एल० आई० |
| 10. | मैसर्स इन्सटीच्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलोजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रीशन ए० टी० आई० कैम्पस, विद्यानगर, हैदराबाद 500007 | ए० पी०/11444 | 1–11–87 से 28–2–90 | 2/2912/90–डी० एल० आई० |
| 11. | मैसर्स सिकन्दराबाद गैस कम्पनी, प्लाट नं० 2, ईन्ट्रेचमेंट रोड, ईस्ट मरेडपली, सिकन्दराबाद–500026 | ए० पी०/18554 | 1–3–89 से 28–2–90 | 2/2913/90–डी० एल० आई० |

अनुसूची-।।

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभ से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-युक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-I/7857—यतः अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अभिदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है। (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने अनुसूची-1 में उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त गुजरात ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 28-2-90 तक की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं।

क्षेत्र :

अनुसूची—1

| क्रम सं० | स्थापना का नाम और पता | कोड संख्या | छूट की प्रभावी तिथि | के० भ० नि० आ० फाइल नं० |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | मैसर्स बड़ौदा इलेक्ट्रीक मीटरस लि०, टिटल उद्योग नगर वल्लभ विद्यानगर वाया आनन्द (गुजरात) | जी० जे०/4535 | 1-3-88 से 28-2-90 | 2/2782/90/डी० एल० आई० |
| 2. | मैसर्स गुजरात एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि०, जगना आयल एक्सटेंशन यूनिट, जगना, डिस्ट्रीक्ट बनासकर्नथ | जी० जे०/6651/एच | 1-9-87 से 28-2-90 | 2/1650/87-डी० एल० आई० |

अनुसूची । ।

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, **उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खंड-क** के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार

नाम निदेशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/7851—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ।

चूंकि मैं, बी. एन. साम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं बी. एन. साम, प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने (अनुसूची-1 में) उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कोयम्बटूर ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 28-2-90 तक की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं ।

अनुसूची-1

| क्रम सं० | स्थापना का नाम और पता | कोड संख्या | छूट की प्रभावी तिथि | के० आ० फा० सं० |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | मैसर्स वी० आर० टैक्सटाइल्स प्रा० लि० पुन्जैपुलीपट्टी 638459 साथ टी० के० पेरीयार डी० टी० | टी० एन०/1164 | 1-6-88 से 28-2-90 तक | 2/3068/90-डी० एल० आई० |
| 2. | मैसर्स लक्ष्मी मशीन वर्क्स लि०, मशीन टूल डिविजन, अरासुर, कोयम्बटूर-641407 | टी० एन० 5320-ए० | 1-7-89 से 28-2-90 तक | 2/3070/90-डी० एल० आई० |
| 3. | मैसर्स डी० पी० वी० इण्डस्ट्रीज सुपर ए० यूनिट प्रा० इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, पोस्ट, कोयम्बटूर-641021 | टी० एन/6747 | 1-2-90 से 28-2-90 तक | 2/3069/90-डी० एल० आई० |
| 4. | मैसर्स कोशिक इण्डस्ट्रीज, 4/5 मट्टूपलायम, कोयम्बटूर-641030 | टी० एन०/16355 | 1-5-89 से 28-2-90 तक | 2/3071/90-डी० एल० आई० |

**अनुसूची ।।**

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिस इसमें इसके पश्चात नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों में अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता, तो नियोजक कर्म-

चारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमांकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमांकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-I/7819—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है। (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-।। में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 28-2-90 तक की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, जैसा कि संलग्न अनुसूची-। में, उनके नाम के सामने दर्शाया गया है।

अनुसूची—1

| क्र सं० | स्थापना का नाम और पता | कोड संख्या | स्थापना को छूट बढ़ाने के लिये भारत सरकार के अधिसूचना की संख्या तथा तिथि | पहले से प्रदान की गई छूट की समाप्ति की तिथि | अवधि जिसके लिये और छूट दी गई है | के० आ० फा० सं० |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | मैसर्स जैधा एण्ड सन्स, 22/5, हडप्सार इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, पुना-411013 | एम एच० 17637 | एस०-35014(55)83-पी० एफ० II, (एस० एस० II) दिनांक 11-2-86 | 1-4-89 | 2-4-89 से 28-2-90 | 2/456/80-डी० एल० आई० |
| 2. | मैसर्स बजाज टैम्पो लि०, बम्बई पुणे रोड, अकुर्दी पुणे-411035। | एम० एच० 5354 | एस०-35014(103) 87-एस एस. II, दिनांक 31-8-87 | 20-5-89 | 21-5-89 से 28-2-90 | 2/291/79-डी० एल० आई० |
| 3. | मैसर्स स्पिल प्लास्टिक, 222, हडप्सार इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, पुना-411013 | एम० एच० 7964 | एस-35014(54)83-पी० एफ II, (एस० एस० II) दिनांक 11-2-86 | 25-3-89 | 26-3-89 से 28-2-90 | 2/454/80-डी० एल० आई० |
| 4. | मैसर्स वेकूम प्लांट एण्ड इन्स्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी प्रा० लि० 48-ए, मुन्डावा पुणे-411036 | एम० एच० 8673 | एस०-35014(287) 82-पी एफ० II (एस० एस० II) दिनांक 1-5-86 | 21-1-89 | 22-1-89 से 28-2-90 | 2/466/80-डी० एल० आई० |

**अनुसूची-I**

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा से संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-युक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम./89/भाग-I/7825—जहां अनुसूची-I में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने (अनुसूची-I में) उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त मदुरै ने स्कीम की धारा 28 (7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, 28-2-90 तक की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं।

अनुसूची—I

क्षेत्र : मदुरै I

| क्रम सं० | स्थापना का नाम और पता | कोड संख्या | छूट की प्रभावी तिथि | के आ० फा० न० |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | मैसर्स श्री पलानी मोटर्स, 32, ब्रम, स्टैंड रोड, अरूपकोट्टाई—626101 | टी० एन०/1510—सी | 1—4—88 से 28—2—90 | 2/2990/90—डी० एल० आई० |
| 2. | मैसर्स प्राइमर फेब्रिक्स प्रा० लि०, 9, टेंकरी रोड, शेनकोट्टाह—627809 | टी० एन०/7875 | 1—4—88 से 28—2—90 | 2/2991/90—डी० एल० आई० |
| 3. | मैसर्स महालिंगम रोड वेज, बस स्टेंड रोड, अरूपकोट्टाई—626101 | टी० एन०/9578 | 1—4—88 से 28—2—90 | 2/2992/90—डी० एल० आई० |
| 4. | मैसर्स रथनाम आटोमोबिलस, 10—ई/3, त्रिवेन्द्रम हाई रोड, तिरूनेलवेली—627002 | टी० एन/11417 | 1—4—89 से 28—2—90 | 2/2993/90—डी० एल० आई० |
| 5. | मैसर्स मथु ब्रश फैक्टरी, मैसर्स के० टी० ओ एस० मुधुक्कुरूप्पा नागर प्लाट डी०—8 तथा डी—17, कप्पालूर सिडको इण्डल इस्टेट, पी बी० नं० 3, तिरूमंगलम—626706, तमिलनाडु | टी० एन०/17065 | 1—12—88 से 28—2—90 | 2/2994/90—डी० एल० आई० |
| 6. | मसर्स राथिनवेलू सुब्रमनियम टेक्सटाइल प्रा० लि०, यूनिट—1, कारूर रोड, एन० परेपट्टी डिन्डीगुल—624004 | टी० एन/20640 | 1—6—89 से 28—2—90 | 2/2995/90—डी० एल० आई० |
| 7. | मैसर्स रत्नावेल सुब्रमनियम पोलिटेक्नीक, आर० भी० एस० नागर, करूर रोड, डिन्डीगुल—624004 | टी० एन/20889 | 1—8—89 से 28—2—90 | 2/2996/90—डी० एल० आई० |
| 8. | मैसर्स रत्नावेल सुब्रमनियम कालेज आफ इंजी— एण्ड टेक्नालाजी, आर० वी० एस० नागर करूर रोड, कुलाथूर, डिन्डीगल— —624004 | टी० एन/20889—ए | 1—8—89 से 28—2—90 | 2/2996/90—डी० एल० आई० |

अनुसूची II

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खंड क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/7831—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी.एन.सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने अनुसूची 1 में उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त विशाखापटनम ने स्कीम की धारा 28 (7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, 28-2-90 तक की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट देता हूं।

अनुसूची—1

| क्रम सं० | स्थापना का नाम और पता | कोड संख्या | छूट की प्रभावी तिथि | के० आ० फा० सं० |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | मैसर्स श्री कृष्णा मोटर एण्ड इंजीनियरिंग वर्क्स, एम० जी० रोड, विजैनगरम | ए० पी०/1410 | 1-11-88 से 28-2-90 | 2/3059/90-ओ० एल० आई० |
| 2. | मैसर्स श्री सर्वराया सुगर्स लि०, चैल्लूर-533261 | ए० पी०/1505 | 1-3-89 से 28-2-90 | 2/3060/90-डी० एल० आई० |
| 3. | मैसर्स श्री कृष्णा अटोमोबिल सर्विस यार्ड, विजयनगरम | ए० पी०/1538 | 1-11-88 से 28-2-90 | 2/3061/90-डी० एल० आई० |
| 4. | मैसर्स श्री सिवा सैलाम स्टोर्स 16-1-21 एम० जी० रोड, विजैनगरम | ए पी०/1551 | 1-11-88 से 28-2-90 | 2/3062/90-डी० एल० आई० |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 5. | मैसर्स सउदर्न इलैक्ट्राडस लि० विशाखापत्तनम | ए० पी./11588 | 1–10–88 से 28–2–90 | 2/3063/90–डी० एल० आई० |
| 6. | मैसर्स सन्डीला जनरल इण्डस्ट्रीज (विशाक) 15–6–8, डाक्टर मैलेश्वर रोड, महारानी पेटा, विशाखापटनम–530002 | ए० पी०/14020 | 1–3–88 से 28–2–90 | 2/3064/90–डी० एल० आई० |
| 7. | मैसर्स मेगनार इलैक्ट्रोडस प्रा० लि०, पन्दुर्थी, विशाखापतनम–531 173 | ए०पी० 16293 | 1–9–88 से 28–2–90 | 2/3065/90–डी० एल० आई० |
| 8. | मैसर्स इस्टर्न इण्डिया कन्टैनरस प्रा० लि०, सी०–20, इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, विशाखापतनम 530007 | ए० पी०/17228 | 1–3–89 से 28–2–90 | 2/3066/90–डी० एल० आई० |
| 9. | मैसर्स सर्वराया सूगरस इम्पलाइज को-आप क्रेडिट सोसाइटी लि०, रजि नं० डी–1501, चेल्लूर–533261 | ए० पी०/17994 | 1–3–89 से 28–2–90 | 2/3067/90–डी० एल० आई० |

## अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर के बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/7839—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन मैं, बी. एन. सोम, प्रत्येक उक्त स्थापना का प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख अनुसूची-1 के अनुसार से प्रभावी जिस तिथि में उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उपक्षेत्रीय कार्यालय अमृतसर ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत छूट प्रदान की है 3 वर्ष की अवधि या 28-2-90 जो भी अवधि पहले समाप्त हो के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं ।

अनुसूची—1

क्षेत्र : पंजाब

| कोड संख्या | स्थापना का नाम और पता | कोड संख्या | छूट की प्रभावी तिथि | फिम० नि० आ० फा० नं० |
|---|---|---|---|---|
| 1. | मैसर्स गुरदासपुर अमृतसर क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक, हैड आफिस, टिबरी रोड, गुरदासपुर | पी० एन०/15003 | 1-12-88 से 28-2-90 | 2/2335/90-डी० एल० आई० |
| 2. | मैसर्स सतलुज पब्लिक स्कूल बांगा, जालन्धर | पी० एन०/15224 | 1-9-89 से 28-2-90 | 2/2886/90-डी० एल० आई० |
| 3. | मैसर्स टैक्सटाइल फिनिशिंग मिल्स, फतेहगढ़ रोड, अमृतसर | पी० एन०/2494 | 1-7-89 से 28-2-90 | 2/2887/90-डी० एल० आई० |
| 4. | मैसर्स मैटल एण्ड स्टील वर्क्स, कपूरथला रोड, जालन्धर | पी० एन०/3108 | 1-9-86 से 28-2-90 | 2/2888/90-डी० एल० आई० |
| 5. | मैसर्स नवभारत एम्बरायडरी मैन्युफैक्चरिंग एण्ड एक्सपोर्ट कारपोरेशन, फतेहगढ़ रोड, अमृतसर | पी० एन०/3386 | 1-7-89 से 28-2-90 | 2/2889/90-डी० एल० आई० |
| 6. | मैसर्स स्टेट इंजीनियरिंग कारपोरेशन पी० ओ० चाचोकी-144632, फगवाड़ा पंजाब | पी० एन०/3805 | 1-1-89 से 28-2-90 | 2/2890/90-डी० एल० आई० |
| 7 | मैसर्स एलिशन बीयरिंग इण्डस्ट्रीज (रजिस्टर्ड) एन० एच०-393, सर्कुलर रोड, जालन्धर नगर-144008 | पी० एन०/4439 | 1-2-89 से 28-2-90 | 2/2891/90-डी० एल० आई० |
| 8. | मैसर्स जालन्धर स्पोर्टस वियर एस०-10, इण्डस्ट्रीयल एरिया, जालन्धर-144004 | पी० एन०/4665 | 1-5-89 से 28-2-90 | 2/2892/90-डी० एल० आई० |
| 9. | मैसर्स शक्ति मैटल वर्क्स एस-254, इण्डस्ट्रीयल एरिया, जालन्धर-144004 | पी० एन०/4778 | 1-7-89 से 28-2-90 | 2/2893/90-डी० एल० आई० |
| 10. | मैसर्स नवयुग इण्डिया लि०, बाईपास जी० टी० रोड, जालन्धर-144009 | पी० एन०/4979 | 1-5-89 से 28-2-90 | 2/2894/90-डी० एल० आई० |

अनुसूची—II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को एसी विवरणियां भेजेगा और एसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए एसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, एसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाय, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना की सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई एसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों में अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर उस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम की उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख से भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

स. 2/1959/डी. एन. आई./एक्जाम/89/भाग-1/7845—जहां अनुसूची-I में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, वी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि एसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-II में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, वी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 28-2-90 तक की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, जैसा कि संलग्न अनुसूची-I में, उनके नाम के सामने दर्शाया गया है।

अनुसूची–I

| क्रम सं० | स्थापना का नाम और पता | कोड संख्या | स्थापना को छूट बढ़ाने के लिये भारत सरकार के अधिसूचना की संख्या तथा तिथि | पहले से प्रदान की गई छूट की समाप्ति की तिथि | अवधि जिसके लिये और छूट दी गई है | के० आ० फा० नं० |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | मैसर्स कर्नाटका स्टेट स्माल इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०, राजाजी नगर, बेंगलोर-44. | के०एन/2256 | एस०–35014(68) 85–एस० एस० IV दिनांक 27–3–85 | 26–3–88 | 27–3–88 से 28–2–90 | 2/153/68–डी० एल० आई० |
| 2. | मैसर्स इण्डिया प्याकेजिंग प्रोडक्ट्स प्रा० लि०, पी० बी० नं० 2480, 5वीं मिल, बेल्कोरी रोड, बेंगलौर–24 | के० एन/3657 | एस–35014(379) 82–पी० एफ० II, (एस० एस० II) दिनॉक 31–3–86 | 31–12–88 | 1–1–89 से 28–2–90 | 2/782/82-डी० एल० आई० |

## अनुसूची II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखे रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख से भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

बी. एन. सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

---

भारतीय भेषजी परिषद

नई दिल्ली-110002, दिनांक 22 अक्तूबर 1990

सं० 37-1/80-पी० सी० आई०/4283-4346—भारतीय भेषजी परिषद के 24 मार्च 1990 को दिल्ली में सम्पन्न हुए 50 वें अधिवेशन में पारित निम्नलिखित संकल्पों को भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 15 में विहित प्रावधानों के तहत राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है।

सं० 50-पी सी० आई /138/721—नेपाल भेषजी अधिनियम 1948 (1948 का 8) की धारा 14 में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद त्रिभुवन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट आफ मेडिसिन में महाराजगंज, काठमांडू, नेपाल द्वारा प्रदत्त सर्टिफिकेट-इन-फार्मेसी को इस अधिनियम के अधीन बेषजज्ञ के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ दिसम्बर 1995 अवधि समाप्ति तक के लिए अनुमोदित घोषित करती है।

परन्तु भारत के नागरिक से भिन्न कोई व्यक्ति जिसके पास ऐसी अर्हता हो, रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हित नहीं समझा जाएगा जब तक भारतीय उदभव के ऐसे व्यक्तियों को जिनके पास एसी अर्हता हों, नेपाल के विधि और व्यवहार द्वारा भेषजी की वृत्ति में प्रवेश पाने और उसका व्यवसाय करने के लिए अनुज्ञात न किया गया हो।

सं० 50-पी०सी०आई०/722-बंगला देश भेषजी अधिनियम 1948 (1948 का 8) की धारा 14 में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद यूनिवर्सिटी आफ टांका, बंगला देश द्वारा प्रदत्त बी० फार्म, डिग्री को इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ दिसम्बर 1995 अवधि समाप्ति तक के लिए अनुमोदित घोषित करती है।

परन्तु, भारत के नागरिक से भिन्न कोई व्यक्ति जिसके पास ऐसी अर्हता हो, रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हित नहीं समझा जाएगा जब तक भारतीय उदभव के ऐसे व्यक्तियों को जिनके पास ऐसी अहेता हो, बंगला देश के विधि और व्यवहार द्वारा भेषजी को वृत्ति में प्रवेश पाने और उसका व्यवसाय करने के लिए अनुज्ञात न किया गया हो।

देवेन्द्र कुमार जैन,
सचिव-कम-रजिस्ट्रार

---

RESERVE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

URBAN BANKS DEPARTMENT

Bombay-400 018, the 16th October 1990

Ref. No. UBD.BR.105/18-90/91.—In pursuance of sub-section (2) of Section 36A read with Clause (Za) of Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949, the Reserve Bank of India hereby notifies that the undernoted primary co-operative bank (salary earners society) has ceased to be a co-operative bank within the meaning of the said Act.

| Name of the Society | State |
|---|---|
| Government Employees' Co-op. Society Ltd. A 245, Kayamkulam Alleppey | Kerala |

G. K. UDESHI
Chief Officer

---

STATE BANK OF INDIA

BANKING OPERATIONS DEPARTMENT

CENTRAL OFFICE

Bombay-40002, the 10th November 1990

NOTICE

No. CO/BOD/P&L/281.—Notice is hereby given that Principal Register and the Branch Registers of the State Bank of India will be closed for transfer of shares from Monday, the 26th November, 1990 to Monday, the 3rd December, 1990, both days inclusive for the purpose of determining the shareholder's entitlement to shares of State Bank of India. being offered by Reserve Bank of India.

SCHEME FOR AUGMENTING THE SHARE CAPITAL OF STATE BANK OF INDIA

1. *Sanction for the Scheme*

The present authorised capital of State Bank of India (hereinafter referred to as the "Bank") is Rs. 200 crores whereas the present issued and paid-up capital of the Bank is Rs. 150 crores.

Permission of the Government of India, vide their letter No. 14(3)89/Accts dated the 28th June 1990, and Reserve Bank of India, vide their letter No. BBOD BP 1150/C.469-(D)-90 dated the 16th April 1990, has been obtained for increasing the issued and paid-up capital of the Bank from Rs. 150 crores to Rs. 200 crores, divided into 200 lacs fully-paid-up shares of Rs. 100/- each. Accordingly, it has been decided to further issue fifty lacs shares of Rs. 100/- each, at a premium of Rs. 160/- per share, on the following basis.

2. *Salient features of the Issue*

(i) Reserve Bank of India will subscribe to 50 lacs additional shares of Rs. 100/- each, being issued at a premium of Rs. 160/- per share, in the first instance and then offer to the other shareholders, the right to subscribe to the shares in the fatio of one share for every three shares held as on the Record Date. In case any shareholder is entitled to a fraction of a new share, one additional share will be offered to him from Reserve Bank of India's holdings.

(ii) The right of renunciation will be allowed to the existing shareholders, but shareholders will not be entitled to apply for additional shares.

(iii) The shares issued to the Reserve Bank of India at the first instance as also the shares issued to the private shareholders subsequently will be entitled to pro-rata dividend, if any, declared by the Central Board in respect of the Bank's financial year ending 31st March 1991 from the day on which additional shares are entered in the Register of Shareholders.

(iv) The allotment of shares to shareholders would be governed by the provisions of Section 11 of the State Bank of India Act 1955, which is reproduced below :

"(1) No person shall be registered as a shareholder in respect of any shares held by him, whether in his own name or jointly with any other person, in excess of two hundred shares, or the entitled to payment of any dividend on the excess shares held by him or to exercise any of the rights of a shareholder, in respect of such excess shares otherwise than for the purpose of selling them :

Provided that nothing contained in this sub-section shall apply to

(a) the Reserve Bank;

(b) a corporation :

(c) an insurer as defined in the Insurance Act, 1938;

(d) a local authority;

(e) a co-operative society; and

(f) a trustee of a public or private religious or charitable trust.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), no person referred to in the proviso to that Sub-section, other than the Reserve Bank, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of one per cent of the issued capital."

3. *Issue Programme*

(a) Issue to open on—10-12-90.

(b) Issue to close on—9-1-91.

(c) Closure of Register of Members—26-11-90 to 3-12-90 (Both days inclusive)

(d) Last date for receipt of requests for Split Application Forms—26-12-90.

4.*Place of Acceptance of Applications*

The following branches of State Bank of India will accept the applications during the period the Issue remains open as indicated above :

Agra (Chippitola), Ahmedabad (Bhadra), Allahabad (Kutchery Road), Bangalore (St. Mark's Road), Bhopal (T. T. Nagar), Bombay (Main Branch), Bhubaneshwar (Main Branch), Calcutta (Main Branch), Coimbatore, Chandigarh (Sector 17), Ernakulam (Shanmugham Road), New Delhi (Parliament Street).

Guwahati (A. T. Road), Hyderabad (Bank Street), Indore (Near G.P.O.), Jabalpur (Civil Lines), Jaipur (M. I. Road), Jammu (Tawi), Kanpur (The Mall), Lucknow (Moti Mahal Marg), Ludhiana (Civil Lines), Madras (Rajaji Salai), Mangalore (Port Road), Madurai (West Veli Street), Nagpur (King's Way), Pune (Main Branch), Patna (Main Branch), Trivandrum (M. G. Road), Varanasi (Cantonement) and Muktasar.

5. Purpose of the Scheme

The purpose of augmentating the issued capital of the Bank is to properly align the ratio of "capital funds" to weighted risk assets.

B. K. MAZUMDER
Dy Managing Director
(Corporate Operations and Services)

ANNEXURE

STATE BANK OF HYDERABAD

(ASSOCIATE OF STATE BANK OF INDIA)

HEAD OFFICE : GUNFOUNDRY

Hyderabad-500 177, the 25th September 1990

Encl. to Letter No. OPD/14/12.—In pursuance of Regulation 55(1) of the Subsidiary Banks General Regulations, 1959, framed under the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (38 of 1959), the Board of State Bank of Hyderabad hereby authorises the undernoted classes of officials to exercise the Signing Power to the extent specified against each of the Officer(s) below :—

| | |
|---|---|
| A. All Officers in the Grades of SMGS IV and above. | To sign all documents, instruments, accounts, receipts, letters and advices, etc., connected with the current or authorised business of the Bank in respect of all matters coming in discharge of functions of the posts held for the time being. |
| B. All Branch Managers/ Managers of Divisions in the Grades of MMGS-III/MMGS-II/JMGS-I. | To sign all documents, instruments, accounts, receipts, letters and advices, etc., connected with the current or authorised business of the Bank in respect of all matters coming in discharge of functions of the posts held for the time being. |
| C. All Managers (Accounts)/ Accountants, Assistant Accountants, Field Officers at branches. | Power to discharge bills of exchange, promissory notes, documents of title to goods which come to them in discharge of functions of the post held for the time being. |

All Officers, employees of the Bank on whom the above signing powers are conferred shall continue to exercise the powers conferred on them for the discharge of their function notwithstanding the place of their posting. The existing notifications as to signing powers shall operate subject to the above modification and to the extent to which those are not inconsistent with anything contained in this modification.

By the Order of the Board.

K. THANU PILLAI
Chief General Manager

UNITED BANK OF INDIA

HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT DEPARTMENT

Calcutta-700 001, the 16th August 1990

No. 4/90.—GSR in eexercise of the powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of United Bank of India in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the United Bank of India (Officers) Service Regulations, 1979.

2. Short title and commencement : (1) These regulations may be called the United Bank of India (Officers) Service (Amendment) Regulations, 1990. (2) This shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

3. Details of the amendments :

*Regulation* 3 (*k*)

'pay' means basic pay including stagnation increment.

*Regulation* 3 (1)

'salary' means the aggregate of the pay and dearness allowance.

*Regulation* 4 (1)

On and from 1-2-1984, there shall be the following four grades for officers with the scale of pay specified against each of the grades :—

(a) Top Executive Grade :

| | |
|---|---|
| Scale-VII | Rs. 4100-125-4600 |
| Scale-VI | Rs. 3850-125-4350 |

(b) Senior Management Grade :

| | |
|---|---|
| Scale-V | Rs. 3575-110-3685-115-3800 |
| Scale-IV | Rs. 2925-105-3450 |

(c) Middle Management Grade :

| | |
|---|---|
| Scale-III | Rs. 2650-100-3250 |
| Scale-II | Rs. 1825-100-2925 |

(d) Junior Management Grade :

| | |
|---|---|
| Scale-I | Rs. 1175-60-1475-70-1895-EB-95-2275-100-2675 |

On and from 1-11-1987 the scales of pay specified against each grade shall be as under :—

(a) Top Executive Grade :

| | |
|---|---|
| Scale-VII | Rs. 6400-150-7000 |
| Scale-VI | Rs. 5950-150-6550 |

(b) Senior Management Grade :

| | |
|---|---|
| Scale-V | Rs. 5350-150-5950 |
| Scale-IV | Rs. 4520-130-4910-140-5050-150-5350 |

(c) Middle Management Grade :

| | |
|---|---|
| Scale-III | Rs. 4020-120-4260-130-4910 |
| Scale-II | Rs. 3060-120-4260-130-4390 |

(d) Junior Management Grade :

| | |
|---|---|
| Scale-I | Rs. 2100-120-4020 |

Provided that every officer who is governed by the scale of pay as in force on the appointed date having been fitted into the said scale of pay in accordance with the guidelines of the Government issued under Regulation 8, shall be fitted in the scale of pay set out above in accordance with the guidelines of the Government.

*Regulation* 5 (1)

On and from 1-11-1987, the increments shall be granted subject to the following sub-clauses :—

(a) The increments specified in the scales of pay set out in Regulation 4(1) shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due.

(b) Officers in Scale-I and Scale-II, 1 year after reaching the maximum in their respective scales, shall be granted further increments including stagnation increment(s) in the next higher scale only as specified in (c) below subject to their crossing the efficiency bar.

(c) Officers including those referred to in (b) above who reach the maximum of the Middle Management Grade Scale II and III shall draw stagnation increment(s) for every three completed years of service after reaching the last stage of the Scale-II or Scale-III as the case may be subject to a maximum of two such increments of Rs. 130/- each for officers in the last stage of Scale-II and one such increment of Rs. 140/- for officers in the last stage of Scale-III.

NOTE : Grant of such increments in the next higher scale shall not amount to promotion. Officers even after receipt of such increments shall continue to get privileges, perquisites, duties, responsibilities or posts of their substantive Scale-I or Scale-II as the case may be.

*Regulation* 5 (2)

On and from 1-11-1987 officers who reach or have reached the maximum in the pay scale and are unable to move further except by way of promotion shall subject to *Government guidelines*, if any, be granted professional Qualification Allowance in lieu of additional increments in consideration of passing CAIIB Examination as under :—

| | |
|---|---|
| Those who have passed only part-I of CAIIB | Rs. 100/- p.m. after one year of which Rs. 75/- shall rank for superannuation benefits. |
| Those who have passed both parts of CAIIB | (i) Rs. 100/- p.m. after 1 year of which Rs. 75/- shall rank for superannuation benefits. |
| | (ii) Rs. 250/-p.m. after 2 years of which Rs. 200/- shall rank for superannuation benefits. |

NOTE : If an officer who is in receipt of Professional Qualification Allowance is promoted to next higher scale, he shall be granted, on fitment into such higher scale, additional increment(s) for passing CAIIB to the extent increments are available in the scale and if no increments are available in the scale or only one increment is available in the scale, the officer shall be eligible for Professional Qualification Allowance in lieu of increment(s).

*Regulation* 21

On and from 1-11-1987, dearness allowance scheme shall be as under :—

(i) Dearness Allowance shall be payable for every rise or fall of 4 points over 600 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100.

(ii) Dearness Allowance shall be payable as per the following rates :

(i) 0.67% of 'pay' upto Rs. 1650/- plus,

(ii) 0.55% of 'pay' above Rs. 1650/- to Rs. 2835/- plus,

(iii) 0.33% of 'pay' above Rs. 2835/- to Rs. 4020/- plus,

(iv) 0.17% of 'pay' above Rs. 4020/-.

*Regulation* 22 (1)

On and from 1-11-1987, where an Officer is provided with residential accommodation by the Bank, 6% of the pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation whichever is less, will be recovered from him.

*Regulation* 22 (2)

On and from 1-11-1987, where an officer is not provided any residential accommodation by the bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the following rates :—

| Where the place of work is in | HRA payable shall be |
|---|---|
| (i) Major 'A' Class Cities specified as such from time to time in accordance with the guidelines of the Government & project Area Centres in Group 'A' | 14% of the pay subject to a maximum of Rs. 375/- |
| (ii) Other places in Area I and Project Area Centres in Group 'B' | 12% of the pay subject to a maximum of Rs. 300/- |
| (iii) Area-II and state capitals and capitals of Union Territories not covered by (i) & (ii) above | 10% of the aay subject to a maximum of Rs. 250/- |
| (iv) Area-III | 8% of the pay subject to a maximum of Rs. 225/- |

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual

/ent paid by him for his residential accommodation in excess over 6% of the pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed, with a maximum of 160% of the maximum House Rent Allowance payable otherwise.

*Regulation* 22(3) :

Where an officer resides in his own accommodation he shall be eligible for a House Rent Allowance on the same basis as mentioned in proviso to sub-regulation (2) as if he were paying by way of monthly rent a sum equal to one twelfth of the higher of A or B below :—

A

The aggregate of :—

(i) Municipal taxes payable in respect of the accommodation; &

(ii) 12% of the capital cost of the accommodation including the cost of the land and if the accommodation is part of a building, the proportionate share of the capital cost of the land attributable to that accommodation, excluding the cost of special fixtures, like air conditioners or

B

The annual rental value taken for municipal assessment of the accommodation.

*Explanation* :

(1) For the purpose of this Regulation 'standard rent' means :—

(a) In the case of any accommodation owned by the Bank, the standard rent calculated in accordance with the procedure for such calculation in vogue in the Government;

(b) Where accommodation has been hired by the Bank, contractual rent payable by the Bank.

*Regulation* 23(*i*) :

On and from 1-11-1987, if he is serving in a place mentioned in column 1 of the Table below, a city compensatory allowance at the rate mentioned in column 2 thereof against that place, provided that the city compensatory allowance at places in the State of Goa other than urban agglomeration of Panaji and Marmagao, where it was not payable on 1-11-1987 shall payable with effect from 2-8-1988.

| places | Rates |
|---|---|
| (a) Places in Area I and in the State of Goa | 6-1/2% of basic pay subject to a maximum of Rs. 220/- per month |
| (b) Places with population of 5 lakhs and over in 1 state Capitals and Chandigarh, Pondicherry and Port Blair not covered by (a) above | 4% of basic pay subject to a maximum of Rs. 135/- per month. |

*Regulation* 23(*v*) :

On and from 1-11-1987, if an officer is deputed to serve outside the bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed Alternatively he may in addition to his pay, draw a deputation allowance of 12% of pay maximum Rs. 700/- and such other allowances as he would have draw had he been posted in the bank's service at that place.

Provided that where he is deputed to an organisation which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation he shall receive a deputation allowance equal to 6% of his pay, maximum Rs. 350/-.

Provided further that an officer on deputation to the Training Establishment of the bank as a faculty member or to Banking Service Recruitment Board shall be eligible for deputation allowance at 6% of his pay, maximum Rs. 350/-.

*Regulation* 23(*vi*) :

On and from 1-11-1987 if he is required to officiate in a post in a higher scale for continuous period of not less than 7 days at a time or an aggregate of 7 days during a calendar month, he shall receive an officiating allowance equal to 6% of his pay, subject to a maximum of Rs. 250/- p.m. for the period for which he officiates. Officiating Allowance will ran as pay for purposes of Provident Fund and not for other purposes.

Provided that where an officer comes to officiate in a higher scale, as a consequence solely of the review of the categorisation of posts under Regulation 6, he shall not be eligible for the officiating allowance for a period of one year from the date on which the review of the categorisation takes effect.

*Regulation* 23(*vii*) :

On and from financial year 1989/90 if he is posted at a branch where books are closed on 31st March and 30th September a closing allowance of Rs. 150/- for each of the two closings.

*Regulation* 23(*x*) :

On and from 1-11-1987, if he is serving in a place mentioned in column 1 of the table below, a hill and fuel allowance at the rate mentioned in column 2 thereof :—

| Place | Rate |
|---|---|
| 1 | 2 |
| (i) Place with an altitude of 1000 metres and above but less than 1500 metres and Mercara Town. | 5% of pay subject to maximum of Rs. 130/- |
| (ii) Place with an altitude of 1500 metres and above but less than 3000 metres. | 6-1/2% of pay subject to a maximum of Rs. 160/- |
| (iii) Place with an altitude of 3000 metres and above. | 15% of pay subject to a maximum of Rs. 600/- |

*Note* : (a) Officers posted at places with an altitude of not less than 750 metres and which are surrounded by hills with higher altitude which cannot be reached without crossing an altitude of 1000 metres or more, will be paid hill and fuel allowance at the same rate as is payable at centres with an altitude of 1000 metres and above.

(b) Hill and Fuel Allowance presently paid at any centre not covered by the above classification shall stand withdrawn. The allowance already paid between 1-11-1987 and 30-4-1989 shall not be recovered. From 1st May, 1989, onwards the quantum of allowance paid as on 30th April under the old provisions alone shall be protected in the case of officers posted at that centre on or before that date till the time they remain posted at that centre in the same scale of pay.

*Regulation* 24(1) :

An officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses actually incurred by him in respect of himself and his family on the following basis namely :—

(a) *Medical Expenses* :

On and from 1-11-1987, reimbursement of medical expenses of an officer in the pay range specified in column 1 of the Table below and his family may be made on the strength of the officer's own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the

amounts claimed subject to the limit specified in column 2 thereof :

TABLE

| Pay Range | Reimbursement limit p.a. |
|---|---|
| 1 | 2 |
| Rs. 2100/- to Rs. 3060/- p.m. | Rs. 600/- |
| Rs. 3061/- p.m. and above | Rs. 800/- |

*Note* : An officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above.

*Explanation* :

'FAMILY' of an officer for the purpose of this regulation shall consist of spouse, wholly dependent children and wholly dependent parents only.

24(*i*)(*b*) *Hospitalisation Expenses* :

(i) On and from 1-4-1989, hospitalisation charges shall be reimbursed to the extent of 90% in the case of an officer and 60% in the case of his family members in respect of all cases which require hospitalisation..

On and from 1-4-1989, medical expenses incurred in respect of the following diseases which need domicilary treatment as may be certified by the recognised hospital authorities and bank's medical officer shall be deemed as hospitalisation expenses and reimbursed to the extent of 90% in the case of an officer and 60% in the case of his family members :—

24(*b*)(*i*)(*v*)

Cancer, Tuberculosis, Paralysis, Cardiac Ailment, Tumour, Small Pox, Pleuresy, Diptheria, Leprosy, Kidney Ailment.

*Regulation* 25 :

On and from 1-11-1987, no officer shall be entitled as of right to be provided with residential accommodation by the Bank. It shall however, be open to the Bank to provide residential accommodation on payment by the officer of 6% of the pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation whichever is less. Provided that a further sum equal to 1½% of pay in the first stage of the scale of pay will be recovered by the Bank from an officer if furniture is provided at such residence. Provided further that, where such residential accommodation is provided by the Bank, the charge for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.

*Regulation* 34(*i*) :

On and from 1-1-1989, an officer shall be eligible for 30 days of sick leave for each completed year of service subject to a maximum of 18 months during the entire service. Such leave can be accumulated upto 540 days during the entire service and may be availed of only on production of medical certificate by a medical practitioner acceptable to the bank or at the bank's discretion nominated by it at its cost.

*Regulation* 35 :

On and from 1-1-1989, where an officer has put in a service of 24 years, he shall be eligible to additional sick leave at the rate of one month for each year of service in excess of 24 years subject to a maximum of three months of additional sick leave.

*Regulation* 41 :

On and from the date specified by the Board the following provisions shall apply whenever an officer is required to travel on duty :—

(i) An officer in Junior Management Grade may travel by 1st Class or AC Sleeper by train. He may, however, travel by Air (economy class) if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest.

(ii) An officer in Middle Management Grade may travel by 1st Class or AC Sleeper by train. He may, however travel by Air (economy class) if the distance to be travelled is more than 500 kms. He may, however, travel by Air (economy class) even for a shorter distance if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest.

(iii) An officer in Senior Management or Top Executive Grade may travel by train AC 1st Class or by Air (economy class).

(iv) An officer in Senior Management or Top Executive Grade may travel by car between places not connected by Air or rail provided that the distance does not exceed 500 kms. However when a maior part of the distance between the two places can be covered by Air or rail only the rest of the distance should normally be covered by car.

*Regulation* 42(2) :

(*i*) On and from 1-11-1987, an officer on transfer will be reimbursed his expenses for transporting his baggage by goods train upto the following limits :—

| Pay Range | Where he has family | Where he has no family |
|---|---|---|
| Rs. 2100/- p.m. to Rs. 3060/- p.m. | 3000 kgs. | 1000 kgs. |
| Rs. 3061/- p.m. and above | Full wagon | 2000 kgs. |

*Regulation* 45(2) :

The Bank shall contribute to the Provident Fund in accordance with the rules governing the Provident Fund from time to time provided that the amount contributed by it shall not be more than 10% of 80% of pay on and from 1-11-1987 to 31-12-1988, 10% of 90% of pay on and from 1-1-1989 to 31-12-1989 and 10% of pay on and from 1-1-1990 of the officer.

*Regulation* 46(2) :

The amount of Gratuity payable to an officer shall be one month's pay for every completed year of service, subject to maximum of 15 month's pay.

Provided that where an officer has completed more than 30 years of service, he shall be eligible by way of Gratuity for an additional amount at the rate of one half of a month's pay for each completed year of service beyond thirty years.

*Note* : If the fraction of service beyond completed years of service is six months or more, gratuity will be paid prorata for the period.

A. ROY
Dy. General Manager
Personnel and Services

## THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi-110002, the 5th October 1990

No. 28/RC(2)/25/90.—In pursuance of Regulation 159 (1) of the Chartered Accountants Regulations, 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the setting up of a branch of the Southern India Regional Council at Tuticorin with effect from 1st October, 1990.

The Branch shall be known as Tuticorin Branch of the Southern India Regional Council.

As prescribed under Regulation 159(3), the branch shall function subject to the control, supervision and direction of the Council through the Regional Council and shall carry out such directions as may from time to time be issued by the Council.

No. 28-RC(3)24/90.—In pursuance of Regulation 159 (1) of the Chartered Regulations, 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the setting up of a branch of the Eastern India Regional Council at Siliguri with effect from 1st October, 1990.

The Branch shall be known as Siliguri Branch of the Eastern India Regional Council.

As prescribed under Regulation 159 (3), the branch shall function subject to the control, supervision and direction of the Council through the Regional Council and shall carry out such directions as may from time to time be issued by the Council.

No. 28-RC(4)/23/90.—In pursuance of Regulation 159 (1) of the Chartered Accountants Regulations, 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the setting up of a branch of the Central India Regional Council at Ajmer with effect from 1st October, 1990.

The Branch shall be known as Ajmer Branch of the Central India Regional Council.

As prescribed under Regulation 159(3), the branch shall function subject to the control, supervision and direction of the Council through the Regional Council and shall carry out such directions as may from time to time be issued by the Council.

M. C. NARASIMHAN
Secretary

---

Bombay-400 005, the 9th October 1990

3WCA(5)/10/90-91.—With reference to the Institute's Notifications 3WCA(4)/5/89-90 dated 3-10-1989, 3WCA (4)/7/86-87 dated 25-2-1987, 3WCA(4)/21/89-90 dated 3-3-1990, 3WCA(4)/12/89-90 dated 20-11-89, it is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations 1988, that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following gentlemen.

| Sl. No. | Member ship | Name & Address | Dates |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 6630 | Shri Vasant Vishnu phatak, ACA,<br>Air India,<br>Old Air port,<br>Santacruz (East),<br>BOMBAY-400 029. | 16-07-1990 |
| 2. | 14180 | Shri Jagdish Vinodchandra Thakkar<br>ACA,<br>2, Arunodaya Society,<br>Alkapuri,<br>BARODA — 390 005. | 11-07-1990 |
| 3. | 15197 | Shri Devidas Vasant Gaitonde,<br>ACA,<br>D/21, Mangireesh Society,<br>L. J. Road X Chotani, Road,<br>Mahim,<br>BOMBAY — 400 016. | 24-07-1990 |
| 4. | 16747 | Mrs. Vandana Hemant Mehta,<br>ACA,<br>11, S. A. Brelvi Road,<br>Block No. 46,<br>BOMBAY-400 001. | 11-07-1990 |
| 5. | 17290 | Shri Jagdish Vanmali Vanjara,<br>FCA,<br>P. O. Box No. 41521,<br>Nairobi,<br>KENYA. | 12-07-1990 |
| 6. | 31454 | Shri Vallabhdas Nandlal Dhut,<br>ACA,<br>8, Gulshan Apartments,<br>New Bombay Agra Road,<br>NASIK - 422 001. | 20-07-1990 |
| 7. | 31871 | Shri V. Chandrasekharan, FCA,<br>Post Office Box No. 1169,<br>Dubai,<br>U. A. E. | 16-07-1990 |
| 8. | 32570 | Shri Mayur Jayantilal Mehta, ACA<br>70/70-A, Zaveri Bazar,<br>3rd Floor,<br>BOMBAY-400 002. | 26-07-1990 |
| 9. | 34934 | Shri Chandraprakash K. Doshi,<br>ACA,<br>A/16, Satguru Co-operative Hsg.<br>Society,<br>Near Nakhwa High School,<br>Thane (East),<br>BOMBAY — 400 059. | 21-06-1990 |
| 10. | 36456 | Shri Milan Pravinchandra Shah,<br>ACA,<br>Core Parenterals Ltd.,<br>4th Floor, Narayan Chambers,<br>Ashram Road,<br>AHMEDABAD - 380 009. | 24-07-199 |
| 11. | 36756 | Shri Prakash Purushottamdas Popat<br>ACA,<br>2, "SONNETT",<br>Plot No. 248, Sher-E-Punjab Soc.,<br>Andheri (East),<br>BOMBAY-400 093. | 01-10-1990 |
| 12. | 42447 | Shri Pravin Shripad Bhalerao, ACA<br>Samartha Co-operative Society,<br>Palidarshan Baug,<br>Erandawana,<br>PUNE - 411 004. | 30-07-1990 |
| 13. | 72071 | Mrs. Poornima Vishwanathan,<br>ACA,<br>15/1, Godrej Hillside Colony,<br>Phirozshah Nagar,<br>BOMBAY-400 079. | 09-07-1990 |

M. C. NARASIMHAN
Secretary.

---

Calcutta-700 071, the 9th October 1990

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 3ECA/8/5/90-91.—In pursuance of Regulation 10 (i) (iii) of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the Certificate of Practice issued

to the following members have been cancelled as they do not desire to hold the same.

| Sl. No. | Member ship No. | Name & Address | Date of Cancellation |
|---|---|---|---|
| 1. | 16331 | Shri Subhash Kumar Jhunjhunwala FCA, 13, Armenian Street, CALCUTTA-700 001 | 14-8-1990 |
| 2. | 50048 | Shri Samin Kumar Mukhopadhyay ACA, 96, Balaram De Street, CALCUTTA-700 006. | 26-7-1990 |
| 3. | 50929 | Shri Pawan Kumar Ruia, FCA 5, Russell Street, CALCUTTA-700 071. | 9-7-1990 |
| 4. | 54148 | Shri Pradyut Kr. Barua, ACA, 9th Bye Lane, R. G. Baruah Road, GUWAHATI-781024. | 1-6-1990 |

The 16th October 1990

No. 3ECA/5/7/90-91.—With reference to the Institute's Notification No. 29-CA/Law/D-16/90 dated 6-3-90 and 3ECA/4/6/89-90 dated 2-11-89, it is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of the said Regulation, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members the names of the following members with effect from the date mentioned against their names :

| Sl. No. | Member ship No. | Name & Address | Date of Restoration |
|---|---|---|---|
| 1. | 13196 | Shri Santosh Kumar Bhaumik, FCA M/s. S. Bhaumik & Co., 1, Netaji Subhash Road, 2nd Floor, CALCUTTA-700 001. | 12-8-1990 |
| 2. | 52337 | Shri Sundaram Sridhar, ACA 20, Bipin Pal Road, CALCUTTA-700 026. | 20-8-1990 |

M. C. NARASIMHAN
Secretary

Madras-600 034, the 9th October 1990

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

3SCA(4)/6/90/91.—In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by Clause (a) Sub-Section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute on account of death with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following gentlemen :—

| Sl. No. | Member-ship No. | Name & Address | Date of Removal |
|---|---|---|---|
| 1. | 8676 | Shri A. Venkatachar, 27, Cathedral Garden Road, MADRAS-600 034. | 15-04-1990 |
| 2. | 25613 | Shri K. Ramesh, No. 39, Nelson Manikam Road, Aminjikarai, MADRAS-600 029. | 21-04-1990 |

3SCA (8)/4/90-91.—In pursuance of Clause (iii) of Regulation 10(1) of the Chartered Accountants Regulations 1988, it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members have been cancelled with effect from dates mentioned against their names, as they do not desire to hold their Certificate of Practice.

| Sl. No. | Member ship No. | Name & Address | Dates |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 7310 | Shri A. Rajasekharan, ACA 20, Marudha Nagar, Vaduvalli, COIMBATORE-641 041. | 01-08-1990 |
| 2. | 20353 | Shri K. Narayanaswamy, ACA Manager (Project Finance), Sri Kannapiran Mills Ltd., Post Box No. 1, Gowripalayam Post, COIMBATORE-641 028. | 23-03-1990 |
| 3. | 21729 | Shri M. Ravindranath, FCA 759, III-Block, Rajajinagar, BANGALORE-560 010. | 21-06-1990 |
| 4. | 21921 | Shri T. Ragunathan, ACA 18, Jalan Kechil, Apartment No. 06—22, SINGAPORE-1543 | 01-07-1990 |
| 5. | 22253 | Shri S. Balasundaram, ACA, Post Office Box No. 459, Victoria, SEYCHELLES | 26-06-1990 |
| 6. | 25594 | Shri S. Mahalingam, ACA Madhukarai, Via, Pichanur P. O. 641 105 COIMBATORE- Distt. | 11-05-1990 |
| 7. | 26672 | Shri R. Venkataraman, ACA, 562, 17th Street, IV - Sector, K. K. Nagar, MADRAS-600 078. | 01-04-1990 |
| 8. | 28131 | Shri B. Balachandran Nair, ACA Manager (F & A), The Plantation Corporation of Kerala Ltd., West Hill Post Office, KOZHIKODE-673 005. | 01-12-1989 |

M. C. NARASIMHAN
Secretary

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 15th October 1990

No. N-15/13/7/3/90-P&D(2).—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 the Director General has fixed the 16-9-1990 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Karnataka Employees, State Insurance (Medical benefit) Rules, 1958, shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Karnataka namely :—

| Name of the Revenue Village or Municipal limits | Hobli | Taluk | District |
|---|---|---|---|
| Cholanayakapanahally Cholanayakapanahally Group Panchayat | Kasaba | Bangalore North | Bangalore Urban District. |

No. N-15/13/15/2/90-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 16-9-1990 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the West Bengal Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the state of West Bengal namely :—

"Durgapur Notified Area"

A. C. JUNEJA,
Dir. (Plg. & Dev.)

## OFFICE OF THE CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIOER

New Delhi-110001, the 15th October 1990

No. CPFC.1(4)PN(187)/90-7625.—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that he employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :—

| S. No. | Code No. | Name & Address of the estt. | Date of coverage |
|---|---|---|---|
| 1. | PN/10923 | M/S. Asia Investments (P) Limited, Shed No. 1, Sector-2, Parwanoo, Distt. Solan (H.P.) including its Regd. office at S-304, L.B. Shastri Marg,Mullund, Bombay. | 1-9-1987 |
| 2. | PN/12875 | M/s. Punjab Police Housing Corporation Limited SCO, 171-72, Sector, 8-C, Madhya Marg, Chandigarh-160018 including its 4, Divisions at Patiala, Jalandhar, Bhatinda and Mohali. | 1-6-1990 |

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Provident Fund Commissioner hereby applies the provisions of the said Act to the above mentioned establishment from and with effect from the dates mentioned against the name of each of the said establishments.

No. CPFC.1(4)Delhi(184)/90-7613.—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :—

| S. No. | Code No. | Name & Address of the estt. | Date of coverage |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | DL/9567 | M/s. Ultimate Videotronics (I) Ltd., 124-Navjeevan Vihar, New Delhi-17. | 1-10-1988 |
| 2. | DL/8502 | M/s. D.H. Woodhead Limited, B-59, Sarvodaya Enclave Sri Aurobindo Marg, New Delhi-17 including its factory at Plot No. 3 Rozka Meo Industrial Estate, P.O. Sohna, Distt. Gurgaon (HR) | 1-6-1986 |
| 3. | DL/8974 | M/s. Sak Industries (P) Limited, DSIDC Shed No. 93, Okhla Industrial Area, Phase-II New Delhi-20, including its office at 13/22, Nehru Place,New Delhi-19 and Regd. office at Gulmohar Park New Delhi-49. | 1-10-1987 |
| 4. | DL/10958 | M/s. Cotton Ways, B-186, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-20. | 1-3-1989 |
| 5. | DL/10807 | M/s. Supreme Services, 2680, Beadon Pura, Karol Bagh, New Delhi-5. | 1-3-1989 |

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Provident Fund Commissioner hereby applies the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned aginst the name of each of the said establishment..

No. CPFC.1(4)/GJ(185)/90-7617.—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :—

| S. No. | Code No. | Name & Address of the estt. | Date of coverage |
|---|---|---|---|
| 1. | GJ/16903 | M/s. The Nawanagar Co-operative Bank Limited, 17-B, Digvijay Plot, Jamnagar-361005 | 1-7-1988 |
| 2. | GJ/16841 | M/s. Dvke Engineering Services. Plot No. 604, G.I.D.C. Industrial Estate, Ankleshwar. | 1-2-1988 |

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Provident Fund Commissioner hereby applies the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the dates mentioned against the name of each of the said establishments.

No. CPFC.2(4)MH(186)/90/7620—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :—

| S. No. | Code No | Name & Address of the estt. | Date of coverage |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | MH/35091 | M/s. Saikrupa Sahakari Patpedi Maryadit, Shop No. 1, Harismriti, Koparkar House, Bhandup Village, Bhandup (E) Bombay-78. | 1-3-1989 |
| 2. | MH/35369 | M/s. Seasons Advertising Association, 521, Maker Chamber No. V, Nariman Point, Bombay-21. | 1-7-1988 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 3. | Goa/10245 | M/s. Globe Enterprises, House No. 242, Socolvado Assagao Bardez-Goa. | 1-8-1989 |
| 4. | MH/29125 | M/s. Khodshi Highway Service, Poona Bangalore Highway, Khodshi, Tal, Karad, Distt. Satara. | 1-4-1989 |
| 5. | MH/29074 | M/s. Yashwant Nagari Sahakari Pat Sanstha Limited, 176, Mangalwar Peth, Karad, Distt. Satara. | 1-1-1989 |
| 6. | MH/35704 | M/s. Sunny Gravures, Ground Floor Pitruchhaya, Sanghavi Estate, Govandi Station Road, Govandi (E) Bombay-88 including its Regd. Office at Matru Chhaya, 153/A, Jain Society Sion (West) Bombay-22. | 1-6-1989 |

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act the Central Provident Fund Commissioner hereby applies the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

No. CPFC.1(4)TN(188)/90/7629—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following estalishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :—

| S. No. | Code No. | Name & Address of the estt. | Date of coverage |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | TN/24125 | M/s. C. Ananthi & Company, 60, South Raja Street, Tuticorin-1. | 1-3-1990 |
| 2. | TN/22474 | M/s. Singh Enterprises, 333, S.N. Chetty Street, Madras-600081. | 1-3-1988 |
| 3. | TN/23626 | M/s. V.P. Foundry, 25, T.H. Road, Madras-81. | 1-2-1990 |
| 4. | TN/23570 | M/s. Expo Trading Company, 8, Patullos Road, Madras-2. | 1-1-1990 |
| 5. | TN/23511 | M/s. N.C. Arya Snuff & Cigar Company, 19, Davidson Street, Madras-1. including its branch at 8, Gurunathan Street, Tennur, Trichi-17. | 31-12-1989 |
| 6. | TN/23608 | M/s. Veeramuthu Security Service, No. 15, 6th Street, Annai Sivakami Nagar, Ennore, Madras-57. | 1-9-1989 |
| 7. | TN/23600 | M/s. A.L. Enterprises, 39, Selva Vinayagar Koil Street, Balakrishna Nagar, Thiruvottiyur, Madras-600019. | 1-11-1989 |
| 8. | TN/24122 | M/s. Abu Agencies, 14, Netu—Street, Dindigul-624001. | 31-12-1989 |
| 9. | TN/241828 | M/s. Madras Suspensions (P) Limited, 344/5, Ayyankottai Thanchiyam Village, Madurai Dist. including its Admn. office & Regd. offices at 32, Workshop Road, P.B. 88,Simmakkal. Madurai-625001 and 36, Workshop Road, Madurai-625001. | 1-4-1990 |
| 10 | TN/24182 | M/s. R. Pudukottai Primary Agricultural Co-operative Bank, R. Pudukottai Post Kovilur Via Vedasandur Taluk, Dindigul, Quaid-E-Milleth Distt. | 28-2-1990 |
| 11. | TN/24104 | M/s. Jenankottai Primary Agricultural Co-operative Bank Limited, Kodangipatti Post, Vedasandur Taluk, Dindigul Quaid-E-Milleth Dist. | 1-1-1990 |
| 12. | TN/24085 | M/s. Devaiah Estate, Manalur, Perumbarai Post, Dindigul Taluk,Dindigul, Quaid-E-Milleth, Distt. | 30-11-1989 |
| 13. | TN/25019 | M/s. Magtorq Powder Clutches (P) Limited 14, Sipcot Shopping Complex, Hosur-635126. | 1-1-1990 |
| 14. | TN/12321 | M/s. Annamalayar Tyre Retreading Company (P) Limited, 48, Nasiyanur Road, Narayana Valasu Erode-9, including its Regd. office at No. 14. Nehru Stadium Complex, Coimbatore-641018. | 1-4-1982 |
| 15. | TN/24048 | M/s. Annai Security Service 102-A, West Mariamatha Puram, Dindigul-624006. | 1-10-1989 |
| 16. | TN/20799 | M/s. Ganesh Oil Mills, 47, Ettayapuram Road, (Extn.). Tuticorin-2. | 1-12-1988 |
| 17. | TN/24143 | M/s. Veera Agency, 6-A, Mani Nagar Street, Tuticorin-628003 including its administrative Office at, 52, Great Cotton Road, Tuticorin-628001. | 1-4-1990 |
| 18. | TN/25036 | M/s. Sri Sudha Enterprises, C-39, Housing Unit, Thally Road, Hosur. | 1-2-1990 |
| 19. | TN/20940 | M/s. S.K.D. Raja Fibres, 167, Cruzpuram, Tuticorin-1. | 1-5-1989 |
| 20. | TN/21957 | M/s. Nallampalli Agro Engg. & Service Co-operative Centre Limited. No. K.K. 375, Nallampalli-636807, Dharmapuri Dist. | 1-10-1989 |

Now, therefore, in exercise of the powers confered by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Provident Fund Commissioner hereby applies the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the dates mentioned against the name of each of the said establishments.

The 25th October 1990

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt-I/7795.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt each of the siad establishments with retrospective effect from the date mentioned in Schedule-I against each from which date relaxation order under para 28 (7) of the said Scheme has been granted by the R.P.F.C. Poona from the operation of the said scheme for upto a period of 28-2-1990.

**SCHEDULE-I**

| Sl No. | Name & Address of the establishment | Code No. | Effective date of exemption | C P. F. C's File No. |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | M/s. Bajaj Electricals Ltd., (Matchwel Unit), Offi. : Nagar Road, Pune-411014 | MH/646 | 1-1-89 to. 28-2-90 | 2/2123/89-DLI |
| 2. | M/s. Sakal Papers Pvt. Ltd., 5 5 Budhwar Peth, Pune-411002 (India) and its branches covered under the same code No. at Bombay, Kolhapur and Nasik | MH/1225 | 1-1-89 to 28-2-90 | 2/2751/90-DLI |
| 3. | M/s. Dattatrya Industries Pvt. Ltd., 691. A/1 A1, Pune Satara Road, Pune-411037 including its Bombay Office which covered under the same code No. | MH/2272 | 1-9-88 to. 28-2-90 | 2/2718/90-DLI |
| 4. | M/s. Eagle Flask Industries (India) Pvt. Ltd., (Plastic division) Eagle Estate P. O. Telegaon General Hospital Talegaon-410507- Distt. Poona. | MH/4400-A | 1-8-88 to 28-2-90 | 2/2717/90-DLI |
| 5. | M/s Eagle Flask Industries. (India) Pvt. Ltd., (Processing Division), P. O. Telegaon General Hospital, Telegaon-410507, Distt Ponna. | MH/4400 | 1-8-88 to 28-2-90 | 2/2717/90-DLI |
| 6. | M/s. International Computers Indian Manufacture Ltd., Nagar Road, Pune-411014. | MH/7125 | 1-8-89 to 28-2-90 | 2/921/83/DLI |
| 7. | M/s. Poona Oxygen & Acetylene Co. (Pvt.) Ltd., 40/41, Hadapsar Industrial Estate, Pune-411013, and its depots covered un der the same Code No. | MH/11370 | 1-12-89 to 28-2-90 | 2/2748/90-DLI |
| 8. | M/s. Roplas (India) Ltd., 145, Bombay Pune Road, Pimpri Pune-411018. | MH/11779 | 1-12-89 to 28-2-90 | 2/2714/90-DLI |
| 9. | M/s. Serum Institute of India (P) Ltd., 212/2 Hadapsar, Pune-411028 and its branches covered under the same Code No. | MH/12845 | 1-7-88 to 28-2-90 | 2/2752/90-DLI |
| 10. | M/s. Finolex Pipes Pvt. Ltd., Block D-I, Plot No. 10 M. I. D. C., Chinchwad, Pune-411019 | MH/13223 | 1-6-88 to 28-2- 90 | 2/2716/90-DLI |
| 11. | Trade Team Pvt. Ltd, Eagle Estate, P. O. Telegaon General Hospital Telegaon, 410507, Distt. Pune. | MH/15289 | 1-8-88 to 28-2-90 | 2/2745/90-DLI |
| 12. | M/s. Precision Engineering. Co. Plot No. 15, Survey No. 17-B, Kothrud, Pune-411029. | MH/18170 | 1-9-89 to 28-2-90 | 2/2747/90-DLI |
| 13. | M/s. Bhagini Nivedita Sahkari Bank Ltd, 387/388, Naryan Peth, Rashtra Bhasha Bhawan, Pune-411030. | MH/18882 | 1-10-89 to. 28-2-90 | 2/2746/90-DLI |
| 14. | M/s. A One Precast Industries , C/o Sh. A. N. Malegaonkar, 103-Shivajinagar, Chunawala Chambers, Behind Mangala Theatre, Pune-411005 | M/H/19666 | 1-1-89 to. 28-2-90 | 2/2721/90-DLI |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 15. | M/s. Poonawalla Investments Pvt. Ltd., Sarosh Bhavan,16/B-I, Dr. Ambedkar Road, Pune-411001. | MH/19667 | 1-7-88 to 28-2-90 | 2/2750/90-DLI |
| 16. | M/s. Cyzachem Pvt. Limited, Sarosh Bhavan, 16-B/1, Dr. Ambedkar Road, Pune-411001. | MH/19668 | 1-7-88 to 28-2-90 | 2/2753/90-DLI |
| 17. | M/s. Nikhil Equipments Pvt. Ltd., 2A/4C, Bhausaheb Patil Road, Bopodi, Pune-411003. | MH/21243-C | 1-3-89 to 28-2-90 | 2/2749/90-DLI |
| 18. | M/s. Padamsee Consolidated Pvt. Ltd., Survey No. 663/2, Opp. National Heavy Project, Bombay-Poona Road, Telegaon Dabhade, Distt. Poona. | MH/30051 | 28-2-90 | 2/2754/90-DLI |
| 19. | M/s. Aparna Livings Pvt. Ltd., 54/32, D-2, Block , M. I. D. C. , Chinchwad. Pune-411019. | MH/30094 | 1-08-89 to. 28-2-90 | 2/2720/90-DLI |
| 20. | M/s. Nisargopchar Gram Sudhar Trust, Urulikanchan, Distt. Poona-412202. | MH/30133 | 1-2-89 to 28-2-90 | 2/2719/90-DLI |

## SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts payment of inspection charges etc, shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Schme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1959/E.D.L.I/Exemp/89/Pt-I/7789.—WHEREAS M/s. Karnataka State Road Transport Corporation, Bangalore-(KN/989-A to S) including its branches under the said code No. have applied for exemption under sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishment is, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt the above said establishment with retrospective effect from which date relaxation

order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner Karnataka from the operation of the said Scheme w.e.f. 1-1-88 to 28-2-90.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, it any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/pt. 17864.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt each of the siad establishments with retrospective effect from the date mentioned in Schedule-I against each from which date relexation order under para 28 (7) of the said Scheme has been granted by the R.P.F.C. Andhra Pradesh from the opertaion of the said scheme for a period upto 28-2-90.

SCHEDULE -I

| Sl. No. | Name & Addess of the establishment | Code No. | Effective date of exemption | C. P.F. C's File No |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | M/s. The Nizam Sugar Factory Ltd., Fateh Maidan Road, P.B. No. 1, Khairatabad, Hyderabad-500004 and its branches | AP/158, AP/289, AP/40,141 AP/6110 | 1-4-89 to 28-2-90 | 2/2903/90-DLI |
| 2. | M/s. Secunderabad Club, Picket, Secunderabad-500003. | AP/1522 | 1-8-89 to 28-2-90 | 2/2904/90-DLI |
| 3. | M/s. Mehta Spinning Mills, 608, Elchiguda, Lower Tank Bund Road., Secunderabad-500380. | AP/1882 | 1-8-89 to 28-2-90 | 2/2905/90-DLI |
| 4. | M/s. Karimnagar District Co-Op Central Bank Ltd., Karimnagar, Andhra Pradesh, and its branches covered under the said Code No. | AP 2441 | 1-5-88 to 28-2-90 | 2/2695/90-DLI |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 5. | M/s. Ramakrishna Homeo Stores, 434, Bank Street P. B. No. 109, Hyderabad-500001 (A.P.) | AP/2680 | 1-10-89 to 28-2-90 | 2/2906/90-DLI |
| 6. | M/s. Hyderabad Chemical Suppliers Private Ltd., A-24/25 Assisted Private Industrial Estate, Balanagar, Hyderabad-500037, and its branches covered under the said Code No. | AP/3309 | 1-2-89 to 28-2-90 | 2/2907/90-DLI |
| 7. | M/s. Hyderabad Gas Company, 23, Lal Bahadur Stadium, Hyderabad-500001 (A.P.) | AP/3648 | 1-3-89 to 28-2-90 | 2/2908/90-DLI |
| 8. | M/s. Andhra Pradesh State Police Housing Corporation Limited, Director General of Police Officer Compound, Saifabad, Hyderabad-500004 | AP/6149 | 1-11-87 to 28-2-90 | 2/2910/90-DLI |
| 9. | M/s. Margadarsi Financiers, 4-1-833/2, Margadarsi House, Abid Centre, Hyderabad-500001 | AP/6367 | 1-3-89 to 28-2-90 | 2/2911/90-DLI |
| 10. | M/s. Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, A. T. I.,Campus, Vidyanagar, Hyderabad-506007 (A.P.) | AP/11444 | 1-11-87 to 28-2-90 | 2/2912/90-DLI |
| 11. | M/s. Secundrabad Gas Company, Plot No. 2, Entrenchment Road, East Marredpally, Secundrabad-500026. | AP/18554 | 1-3-89 to 28-2-90 | 2/2913/90-DLI |

SCHEDULE-I

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submision of returns, payment of insurance premium transfer of accounts payment of inspection charges etc, shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the moiority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt-I/7857.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance which are

more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt each of the siad establishments with retrospective effect from the date mentioned in Schedule-I against each from which date relexation order under para 28 (7) of the said Scheme has been granted by the R.P.F.C. Gujarat from the operation of the said scheme for and upto a period of 28-2-90.

SCHEDULE-I

| Sl. No. | Name & Address of the establishment | Code No. | Effective date of exemption | C. P. F. C's File No. |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | M/s. Baroda Electric Metres Ltd., Vithal Udyognagar, Vallabh-Vidyanagar, Via-Anand(Gujarat). | GJ/4535 | 1-3-88 to 28-2-90 | 2/2782/90-DLI |
| 2. | M/s. Gujarat Agro Industries Corporation Ltd., Jagan Oil Extension Unit, At Jagana, Distt. Banaskantha. | GJ/6651-H | 1-9-87 to 28-2-90 | 2/1650/87-DLI |

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regoinal Provi lent Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt-I/7851.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt each of the siad establishments with retrospective effect from the date mentioned in Schedule-I against each from which date relexation order under para 28 (7) of the said Scheme has been granted by the R.P.F.C. Coimbatore from the operation of the said scheme for and upto a period of 28-2-90.

SCHEDULE-I

| Sl. No. | Name & Address of the establishment | Code No. | Effective date of exemption | C.P.F.C.'s File No. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | M/s. V. R. Textiles Pvt. Ltd., Punjaipuliampatty-638459, Sathy TK., Periyar, Dt. | TN/1164 | 1-6-88 to 28-2-90 | 2/3068/90-DLI |
| 2. | M/s. Lakshmi Machine Works Ltd., Machine Tool Division, Arasur, Coimbatore-641407. | TN/5320-A | 1-7-89 to 28-2-90 | 2/3070/90-DLI |
| 3. | M/s. D. P. V. Industries Super A Unit, Private Industrial Estate, Industrial Estate Post, Coimbatore-641021. | TN/6747 | 1-2-90 to 28-2-90 | 2/3069/90-DLI |
| 4. | M/s. Kaushik Industires, 4/5, Mettupalayam Road, Kaundanpalayam, Coimbatore-641030. | TN/16355 | 1-5-89 to 28-2-90 | 2/3071/90-DLI |

## SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regoinal Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.1/7819.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I. B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour Notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subjecst to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said scheme for a further period upto 28-2-90 as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE-I

REGION———————————

| Sr. No. | Name & Address of the establishment | Code No. | No. & Date of the Govt's Notification vide which exemption was granted/extended. | Date of expiry earlier exemption | Period for exemption further | C. P. F. C's File No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | M/s. Jaitha & Sons, 22/5, Hadapsar Industrial Estate, Poona-411013. | MH/17637 | S-35014/55/83-PF-II (SS- IV) Dt. 11-2-86 | 1-4-89 | 2-4-89 to 28-2-90 | 2/456/80-DLI |
| 2. | M/s. Bajaj Tempo Ltd., Bombay-Pune Road, Akurdi, Pune-411035. | MH/5354 | S-35014/103/87-SS-II Dated 31-8-87 | 20-5-89 | 21-5-89 to 28-2-90 | 2/291/79-DLI |
| 3. | M/s. Spice Plastic, 22/2 Hadapsar Industrial Estate, Poona-411013. | MH/7964 | S-35014/54/83-PF-II, (SS-II) Dt. 11-2-86 | 25-3-89 | 26-3-89 to. 28-2-90 | 2/454/80-DLI |
| 4. | M/s. Vacum Plant and Instrument Manufacturing Company Private Limited, 48-A, Mundhava, Pune-411036. | MH/8673 | S-35014/287/82-PF/II (SS-II) Dt. 1-5-86 | 21-1-89 | 22-1-89 to 28-2-90 | 2/466/80-DLI |

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section 3(A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act. is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme. the employer shall pay the difference to the nominee (s) /legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt-I/7825.—WHEREAS, the employers of the establishments mentioned in Schedule I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I. B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I. B. N. Som, hereby exempt each of the said establishments with retrospective effect from the date mentioned in Schedule-I against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the R.P.F.C. Madurai from the operation of the said scheme for and upto a period of 28-2-90.

## SCHEDULE-I

REGION : MADURAI

| Sl. No. | Name & Address of the establishment | Code No. | Effective date of exemption | C. P. F. C.'s File No. |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Shri Palani Motors., 32, Bus Stand Road, Aruppukottai-626101 | TN/1510-C | 1-4-88 to 28-2-90 | 2/2990/90-DLI |
| 2. | M/s. Premier Fibres (Pvt.) Ltd., 9, Tenkeri Road, Shencottah-627809 | TN/7875 | 1-4-88 to 28-2-90 | 2/2991/90-DLI |
| 3. | M/s. Mahalingam Roadways, Bus Stand Road, Aruppukottai-626101 | TN/9578 | 1-4-88 to 28-2-90 | 2/2992/90-DLI |
| 4. | M/s. Rathnam Automobiles 10-E/3, Trivandraum High Road, Tirunelveli-627002 | TN/11417 | 1-4-89 to 28-2-90 | 2/2993/90-DLI |
| 5. | M/s. Muthu Brush Factory., M/s. K. T. O. S., Muthukkaruppa Nagar, Plot D-8 & D-17, Kappalur Sidco Indl. Estate P. B. No. 3, Tirumangalam-626706, Tamil Nadu | TN/17065 | 1-12-88 to 28-2-:0 | 2/2994/90-DLI |
| 6. | M/s. Rathinavelu Subramanium Textiles (P) Ltd., Unit-I., Karur Road., N. Paraipatii, Dindigul-624004 | TN/20640 | 1-6-89 to 28-2-90 | 2/2995/90-DLI |
| 7. | M/s. Ratnavel Subramaniam Polytechnic., R. V. S. Nagar., Karur Road, Dindigul 624004 | TN/20889 | 1-8-89 to 28-2-90 | 2/2996/90-DLI |
| 8. | M/s. Ratnavel Subramaniam College of Engg., And Technology, R. V. S. Nagar, Karur Road, Kulathur., Dindigul-624004 | TN/20889-A | 1-8-89 to 282-90 | 2/2996/90-DLI |

## SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee (s) /legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under th said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt-I/7831.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt each of the said establishments with retrospective effect from the date mentioned in Schedule-I against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the R.P.F.C. Visakhapatnam from the operation of the said scheme for and upto a period of 28-2-90.

SCHEDULE-I

| Sl. No. | Name & Address of the establishment | Code No. | Effective date of exemption | C. P. F. C's File No. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | M/s. Sri Krishna Motor & Engineering Works., M. G. Road, Vizianagaram | AP/1410 | 1-1-88 to 28-2-90 | 2/3059/90-DLI |
| 2. | M/s. Sri Sarvarava Sugars Ltd., Chelluru-533261 | AP/1505 | 1-3-89 to 28-2-90 | 2/3060/90-DLI |
| 3. | M/s. Sri Krishna Automobile Service Yard., Vizianagaram | AP/1539 | 1-11-88 to 28-2-90 | 2/3061/-90-DLI |
| 4. | M/s. Sri Siva Sailam Sores, 16-1-21, M. G. Road, Vizianagaram | AP/1551 | 1-11-88 to 28-2-90 | 2/3062/90/-DLI |
| 5. | M/s. Southern Electrodes Ltd., Visakhapatnam | AP/11588 | 1-10-88 to 28-2-90 | 2/3063/90-DLI |
| 6. | M/s. Sandilya General Industries (Vizag)., 15-6-8 Doctor Saileswar Road, Maharani, Peta, Vishakhapatnam-530002 | AP/14019 | 1-3-88 28-2-90 | 2/3064/90-DLI |
| 7. | M/s. Magnarc Electrodes Pvt. Ltd., Pendurthi, Visakhapatnam-531173 | AP/16293 | 1-9-88 to 28-2-90 | 2/3065/90-DLI |
| 8. | M/s. Eastern India containers Pvt. Ltd., C-20, Industrial Estate., Visakhaptnam-530007 | AP/17228 | 1-3-89 to 28-2-90 | 2/3066/90-DLI |
| 9. | M/s. Sarvaraya Sugars Employees' Co-op., Credit Society Ltd., Regd. No. D-1501, Chelluru-533261 | AP/17994 | 1-3-89 to 28-2-90 | 2/3067/90-DLI |

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee (s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/7839.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt each of the said establishments with retrospective effect from the date mentioned against each as per Schedule-I from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the R.P.F.C. S.R.O. Amritsar from the operation of the said scheme for a period upto and inclusive of 28-2-90 or three years whichever is earlier.

**SCHEDULE-I**

AMRITSAR

| Sl. No. | Name & Address of the estabelishment | Code No. | Effective date of exemption | C.P.F.C's File No. |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | M/s. Gurdaspur Amritsar Ksheriya Gramin Vikas Bank Head Office, Tibri Road, Gurdaspur | PN/15003 | 1-12-88 to 28-2-90 | 2/2885/90-DLI |
| 2. | M/s. Sutlej Public School Bangi, Jalandhar | PN/15224 | 1-9-89 to 28-2-90 | 2/2886/90/DLI |
| 3. | M/s. Modern Textile Finishing Mills, Fategarh Road, Amritsar | PN/2494 | 1-7-89 to 28-2-90 | 2/2887/90-DLI |
| 4. | M/s. Himson Metal & Steel Works, Kapurthala Road, Jalandhar. | PN/3108 | 1-9-86 to 31-8-89 | 2/2888/90/DLI |
| 5. | M/s. Nav Bharat Embroidery Manufacturing & Export Corp., Fatehgarh Road, Amritsar. | PN/3386 | 1-7-89 to 28-2-90 | 2/2889/90/DLI |
| 6. | M/s. State Engineering Corp., P. O. Chachoki-144632, Phagwara Punjab | PN/3805 | 1-1-89 to 28-2-90 | 2/2890/90/DLI |
| 7. | Allison Bearing Industries (Regd.) N. H. 393, Circular Road, Jalandhar City-144008 | PN/4439 | 1-2-89 to 28-2-90 | 2/2891/90/DLI |
| 8. | M/s. Jalandhar Sportswear, S-10, Industrial Area, Jalandhar-144004 | PN/4665 | 1-5-89 to 28-2-90 | 2/2892/90/DLI |
| 9. | M/s. Shak i Metal Works, S-254, Industrial Area, Jalandhar-144004 | PN/4978 | 1-7-89 to 28-2-90 | 2/2893/90/DLI |
| 10. | M/s. Navyug (India) Ltd., Bye Pass, G. T. Road, Jalandhar-144009 | PN/4979 | 1-5-89 to 28-2-90 | 2/2894/90/DLI |

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section 3(A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee (s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt. 1/7845.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said scheme for a further period upto 28-2-90 as indicated in attached schedule-I against their names.

**SCHEDULE-I**

REGION : Karnataka

| Sr. No. | Name & Asddress of the establishment | Code No. | No. & Date of the Govt's Notification vide which exemption was granted/extended. | Date of expiry of earlier exemption | Period for exemption further extended | C. P. F.C's File No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | M/s. Karnataka State Small Industries Development Corporation Ltd., Rajajinagar, Bangalore-44. | KN/2256 | S-35014/68/85-SS-IV dt. 27-3-85 | 26-3-88 | 27-3-88 to 28-2-30 | 2/153/78-DLI |
| 2. | M/s. India Packaging Products Pvt., Ltd., P. B. No. 2480, 5th Mile, Bellory Road, Bangalore-24. | KN/3657 | S-35014/379/82-PF-II dt. 31-3-86 (SS-II) | 31-12-88 | 1-1-89 to 28-2-90 | 2/782/82-DLI |

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the emplover shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee (s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

B. N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner

## PHARMACY COUNCIL OF INDIA

New Delhi-110 002, the 22nd October 1990

Ref. No. 37-1/80-PCI/4283-4346.—The following resolutions passed by the Pharmacy Council of India in its 50th meeting held on 24th March, 1990 at New Delhi, are published here-in-below as required under section 15 of the Pharmacy Act, 1948, namely :—

Resolution No. 50-PCI/138/721 NEPAL

"In pursuance of the provisions of section 14 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948) the Pharmacy Council of India declares the "Certificate in Pharmacy" of Tribhuvan University, Institute of Medicine, Maharajgunj, Kathmandu, Nepal to be an approved qualification for the purpose of qualifying for registration as a pharmacist under the said Act, for the period ending December, 1995.

Provided that no person other than a citizen of India possessing such qualification shall be deemed to be qualified for regsitration unless by the law and practice of Nepal, persons of Indian origin holding the above said qualification are permitted to enter and practice the professoin of Pharmacy".

Resolution No. 50-PCI/139/732 BANGLA DESH

"In pursuance of the provisions of section 14 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948) the Pharmacy Council of India declares the "B. Pharm. Degree" of University of Dacca, Bangladesh to be an approved qualification for the purpose of qualifying for registration as a pharmacist under the said Act, for the period ending December, 1995.

Provided that no person other than a citizen of India, possessing such qualification shall be deemed to be qualified for registration unless by the law and practice of Bangladesh, persons of Indian origin holding the above said qualification are permitted to enter and practice the profession of Pharmacy."

DEVINDER K. JAIN
Secretary-cum-Registrar

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1990
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1990